Seventeenth Series, Vol. XXVI No.12

Friday, August 04, 2023
Sravana 13, 1945 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Twelfth Session

(Seventeenth Lok Sabha)

सत्यमेव जयते

(Vol. XXVI contains Nos.11 to 17)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General

Lok Sabha

Vinay Kumar Mohan

Joint Secretary

Bishan Kumar

Director

Narad Prasad Kimothi

Sunita Thapliyal

Joint Director

Meenakshi Rawat

Anil Kumar Chopra

Editor

© 2023 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. XXVI, Twelfth Session, 2023/1945 (Saka)
No. 12, Friday, August 04, 2023/ Sravana 13, 1945 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 221 to 223	25-34
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 224 to 240	35-110
Unstarred Question Nos. 2531 to 2760	111-818

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 819-822

MESSAGES FROM RAJYA SABHA
AND
BILLS AS PASSED BY RAJYA SABHA 823-824

STANDING COMMITTEE ON WELFARE OF OTHER BACKWARD CLASSES
22nd to 25th Reports 825-826

STANDING COMMITTEE ON DEFENCE
Action Taken Statements 827-831

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS
Statement 832

STANDING COMMITTEE ON LABOUR, TEXTILES AND SKILL DEVELOPMENT
49th and 50th Reports 833

STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE
146th to 148th Reports 834

STANDING COMMITTEE ON PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES, LAW AND JUSTICE
132nd Report 835

STATEMENT BY MINISTER
Status of implementation of recommendations contained in the 26th Report of the Standing Committee on Defence on Demands for Grants (2022-23), General Defence Budget, Border Roads Organisation, Indian Coast Guard, Defence Estates Organisation, Defence Public Sector Undertakings, Canteen Stores Department, Welfare of Ex-Servicemen and Defence Pension (Demand Nos. 19 and 22) pertaining to the Ministry of Defence
Adv. Ajay Bhatt 836

BUSINESS OF THE HOUSE 837-838

ELECTION TO COMMITTEE
All India Institute of Medical Sciences (AIIMS),
Bilaspur (Himachal Pradesh) 839-840

MOTION RE: 43RD REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 841

ANUSANDHAN NATIONAL RESEARCH FOUNDATION BILL, 2023 842-843

MATTERS UNDER RULE 377 844-863

(i) Regarding alleged illegal mining activities in Bharatpur Parliamentary Constituency
Shrimati Ranjeeta Koli 844

(ii) Regarding eligibility of Course Completed Act Apprentices trained in Railway Establishment for applying for the posts notified by Railways
Shrimati Raksha Nikhil Khadse 845

(iii) Need to declare Jharkhand as a 'drought-hit' State
Shri Bidyut Baran Mahato 846

(iv) Regarding permanent political solution for Darjeeling region
Shri Raju Bista 847

(v) Need to extend various railway services in Prayagraj, Uttar Pradesh
Shrimati Keshari Devi Patel 848

(vi) Need to operationalise the declared trains on Forebesganj - Narpatganj railway section
Shri Pradeep Kumar Singh 849

(vii) Need to refund money of investors of cooperatives

Shri Vivek Narayan Shejwalkar 850

(viii) Need to open Sports Authority of India (SAI) centre in Chhattisgarh

Shri Sunil Kumar Soni 851

(ix) Need to extend the services of Brahmaputra Mail upto Jaipur

Shri Narendra Kumar 852

(x) Need to construct an underpass on NH No. 52 at Palasner village in Dhule district, Maharashtra

Dr. Heena Vijaykumar Gavit 853

(xi) Regarding alleged deteriorating law and order situation in Jharkhand

Shri Jayant Sinha 854

(xii) Regarding alleged cases of crime against women, children and dalits in Rajasthan

Shri Sumedhanand Saraswati 855

(xiii) Regarding expeditious construction of Hardoi - Gursahaiganj Railway line project

Shri Jai Prakash 856

(xiv) Need to provide separate building for Passport Seva Kendra and Aadhaar Seva Kendra presently operating in Head Post Office Mehsana, Gujarat

Shrimati Sharda Anil Patel 857

(xv) Need to start direct Express Train from Radhikapur, West Bengal to New Delhi

Sushri Debasree Chaudhuri 858

(xvi) Regarding setting up of Textile Park under PM Mitra Scheme in Puducherry

Shri Ve. Vaithilingam 859

(xvii) Regarding stoppage of trains at Kallidaikurichi Railway Station in Tamil Nadu

Shri S. Gnanathiraviam 860

(xviii) Regarding proposed Mekedatu Reservoir in Karnataka

Shri S. Ramalingam 861

(xix) Regarding dilapidated condition of roads in Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu

Shrimati Kalaben Mohanbhai Delkar 862

(xx) Need to provide stoppage of Patna-Ranchi Vande Bharat Express at Jehanabad Railway Station

Shri Chandeshwar Prasad 863

INTER-SERVICES ORGANISATIONS (COMMAND, CONTROL AND DISCIPLINE) BILL, 2023 864-872

Motion to Consider 865

Shri Raj Nath Singh 864-867, 871

Col. (Retd) Rajyavardhan Rathore 868-870

Shri Ritesh Pandey 870

Clauses 2 to 15 and 1 872

INDIAN INSTITUTES OF MANAGEMENT (AMENDMENT) BILL, 2023 873-879

Motion to Consider 873

Shri Dharmendra Pradhan 873- 874, 877

Shri Jagdambika Pal 874-876

Shri Lavu Srikrishna Devarayalu 876

Clauses 2 to 12 and 1 878-879

PRIVATE MEMBERS' BILL – Introduced 881-1022

(i) High Court of Kerala (Establishment of a Permanent Bench at Thiruvananthapuram) Bill, 2023
By Dr. Shashi Tharoor 881

(ii) Healthcare Personnel and Healthcare Institutions (Prohibition of Violence and Damage to Property) Bill, 2023
By Dr. Shashi Tharoor 882

(iii) Journalist (Prevention of Violence and Damage or Loss to the Property) Bill, 2022
By Shri N.K. Premachandran 883

(iv) Advocates (Protection) Bill, 2022
By Shri N.K. Premachandran 884

(v) Constitution (Amendment) Bill, 2022
(Amendment of Article 201)
By Shri N.K. Premachandran 885

(vi) Census (Amendment) Bill, 2022
(Substitution of new section for section 3)
By Shrimati Supriya Sadanand Sule 886

(vii) Prohibition of employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation (Amendment) Bill, 2022
(Amendment of section 2, etc.)
By Shrimati Supriya Sadanand Sule 887

(viii) Representation of the People (Amendment) Bill, 2022
(Amendment of section 23)
By Shrimati Supriya Sadanand Sule 888

(ix) Right of Women to Menstrual Leave and Free Access to Menstrual Health Products Bill, 2022
By Shri Hibi Eden 889

(x) Pokkali Farming (Protection, Enrichment and Welfare) Bill, 2023
By Shri Hibi Eden 890

(xi) Healthcare Professionals (Protection from Violence and Harassment) Bill, 2023
By Shri Hibi Eden 891

(xii) Companies (Amendment) Bill, 2022
(Amendment of section 2, etc.)
By Shri Gaurav Gogoi 892

(xiii) Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (Amendment) Bill, 2022
(Amendment of section 2, etc.)
By Shri Gaurav Gogoi 893

(xiv) Energy Conservation (Amendment) Bill, 2022
(Amendment of section 2, etc.)
By Shri Gaurav Gogoi 894

(xv) Representation of the People (Amendment) Bill, 2023
(Amendment of section 20A)
By Shri Karti P. Chidambaram 895

(xvi) Central Universities (Amendment) Bill, 2022
(Insertion of new section 3G, etc.)
By Shri Raju Bista 896

(xvii) Agricultural Produce Price Fixation Board Bill, 2022
By Adv. A. M. Ariff 897

(xviii) Terminated Employees (Temporary Benefits) Bill, 2022
By Shri Lavu Srikrishna Devarayalu 898

(xix) Chilli (Promotion and Development) Bill, 2022
By Shri Lavu Srikrishna Devarayalu 899

(xx) Sexual Harassment at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Bill, 2022
By Shri Lavu Srikrishna Devarayalu 900

(xxi) Constitution (Amendment) Bill, 2022
(Amendment of Article 58)
By Shri P. P. Chaudhary 901

(xxii) Constitution (Amendment) Bill, 2022
(Amendment of the Seventh Schedule)
By Shri P. P. Chaudhary 902

(xxiii) Constitution (Amendment) Bill, 2022
(Amendment of the Seventh Schedule)
By Shri P. P. Chaudhary 903

(xxiv) Constitution (Amendment) Bill, 2021
(Amendment of Seventh Schedule)
By Shri Jagdambika Pal 904

(xxv) Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2022
(Amendment of section 2, etc.)
By Shri Jagdambika Pal 905

(xxvi) Right to Information (Amendment) Bill, 2023
(Amendment of section 2, etc.)
By Shri Jagdambika Pal 906

(xxvii) Criminal Law (Amendment) Bill, 2023
(Insertion of new section 52B, etc.)
By Dr. Nishikant Dubey 907

(xxviii) Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2023
(Amendment of section 1A, etc.)
By Dr. Nishikant Dubey 908

(xxix) Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Amendment Bill, 2023
(Amendment of sections 2 and 3)
By Dr. Nishikant Dubey 909

(xxx) Code of Civil Procedure (Amendment) Bill, 2022
(Amendment of section 23, etc.)
By Dr. Shrikant Eknath Shinde 910

(xxxi) Mental Healthcare (Amendment) Bill, 2022
(Amendment of section 17, etc.)
By Dr. Shrikant Eknath Shinde 911

(xxxii) Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Amendment) Bill, 2022
(Amendment of section 31)
By Shri Kodikunnil Suresh 912

(xxxiii) The Andhra Pradesh Reorganisation (Amendment) Bill, 2023
(Insertion of new Part XA)
By Shri Margani Bharat 913

(xxxiv) Information Technology (Amendment) Bill, 2023
(Amendment of section 2, etc.)
By Adv. Dean Kuriakose 914

(xxxv) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (Amendment) Bill, 2023
(Amendment of section 22, etc.)
By Adv. Dean Kuriakose 915

(xxxvi) Wild Life (Protection) Amendment Bill, 2023
(Amendment of section 2, etc.)
By Adv. Dean Kuriakose 916

(xxxvii) Supreme Court of India (Establishment of a Permanent Bench at Hyderabad) Bill, 2023
By Dr. G. Ranjith Reddy 917

(xxxviii) Micro, Small and Medium Enterprises Development (Amendment) Bill, 2022
(Amendment of section 2, etc.)
By Dr. Heena Vijaykumar Gavit 918

(xxxix) Constitution (Amendment) Bill, 2022
(Amendment of article 312)
By Dr. Heena Vijaykumar Gavit 919

(xl) Maintenance and Welfare of parents and Senior Citizens (Amendment) Bill, 2022
(Amendment of section 21, etc.)
By Dr. Heena Vijaykumar Gavit 920

(xli) Scheduled Castes and Scheduled Tribes Sub Plans (Budgetary Allocation and Special Schemes) Bill, 2020
By Shrimati Locket Chatterjee 921

(xlii) Vehicular Pollution Reduction Bill, 2019
By Shrimati Locket Chatterjee 922

(xliii) Unemployment Allowance Bill, 2019
By Shri Su. Thirunavukkarasar 923

(xliv) Agricultural Workers Welfare Fund Bill, 2019
By Shri Su. Thirunavukkarasar 924

(xlv) Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2023
(Amendment of section 2, etc.)
By Dr. Mohammad Jawed 925

(xlvi)	Indian Penal Code (Amendment) Bill, 2022 *(Insertion of new section 440A)* **By Shri Rahul Ramesh Shewale**	926
(xlvii)	Child Marriage Abolition Bill, 2022 **By Shri Rahul Ramesh Shewale**	927
(xlviii)	Salt Workers Welfare Bill, 2023 **By Shri Rahul Ramesh Shewale**	928
(xlix)	Chit Funds (Amendment) Bill, 2023 *(Amendment of sections 2 and 4)* **By Dr. Sukanta Majumdar**	929
(l)	Compulsory Yoga Practice in Schools and Other Education Institutions Bill, 2023 **By Dr. Sukanta Majumdar**	930
(li)	Rights of Persons with Disabilities (Amendment) Bill, 2023 *(Amendment of section 2, etc.)* **By Shri Thomas Chazhikadan**	931
(lii)	Constitution (Amendment) Bill, 2023 *(Amendment of article 312)* **By Dr. Sanjeev Kumar Singari**	932
(liii)	Rights of Persons with Disabilities (Amendment) Bill, 2023 *(Amendment of section 2, etc.)* **By Dr. Sanjeev Kumar Singari**	933

(liv) Handloom Weavers and Workers (Welfare) Authority Bill, 2023

By Dr. Sanjeev Kumar Singari 934

(lv) Healthcare Service Providers and Facilities (Prevention of Violence and Damage to Property) Bill, 2023

By Dr. Mohammad Jawed 935

(lvi) Urban Areas (Development and Regulation) Bill, 2023

By Shri Manoj Kotak 936

(lvii) Prohibition of Fake News on Social Media Bill, 2023

By Shri Manoj Kotak 937

(lviii) Waste (Disposal and Management) Bill, 2023

By Shri Manoj Kotak 938

(lix) Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens (Amendment) Bill, 2023

(Amendment of section 19, etc.)

By Shri Gopal Shetty 939

(lx) Constitution (Amendment) Bill, 2023

(Amendment of article 214)

By Shri Gopal Shetty 940

(lxi) National Commission for Minorities (Amendment) Bill, 2021

(Amendment of section 2)

By Dr. Sanjay Jaiswal 941

(lxii) Tour Operators and Travel Agents (Regulation) Bill, 2022

By Shri Janardan Singh Sigriwal 942

(lxiii) Dalit, Backward and Oppressed Youth (Development and Welfare) Bill, 2022

By Shri Janardan Singh Sigriwal 943

(lxiv) Promotion of Social and Emotional Learning in Schools Bill, 2022

By Shri Janardan Singh Sigriwal 944

(lxv) Wind Turbine and Solar Energy Waste (Handling, Disposal and Recycling) Bill, 2022

By Shrimati Poonamben Maadam 945

(lxvi) National Green Tribunal (Amendment) Bill, 2022
(Amendment of section 15, etc.)

By Shri E. T. Mohammed Basheer 946

(lxvii) Constitution (Amendment) Bill, 2022
(Amendment of the Seventh Schedule)

By Shri Pradyut Bordoloi 947

(lxviii) Hindu Succession (Amendment) Bill, 2023
(Amendment of section 2)

By Dr. Pon Gautham Sigamani 948

(lxix) Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Amendment Bill, 2023
(Insertion of new section 4A)

By Dr. Pon Gautham Sigamani 949

(lxx) Indian Telecom (Privacy and Security) Bill, 2023
By Shri Ritesh Pandey 950

(lxxi) Citizenship (Amendment) Bill, 2022
(Amendment of section 2)
By Dr. Kalanidhi Veeraswamy 951

(lxxii) Emigration (Amendment) Bill, 2023
(Insertion of new Chapter IIA, etc.)
By Dr. Kalanidhi Veeraswamy 952

(lxxiii) Pingali Venkayya National Urban Employment Guarantee Bill, 2023
By Dr. Talari Rangaiah 953

(lxxiv) Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2022
(Amendment of section 8)
By Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil 954

(lxxv) Code on Social Security (Amendment) Bill, 2023
(Amendment of section 15, etc.)
By Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil 955

(lxxvi) Tuberculosis (Treatment and Eradication) Bill, 2022
By Shri Shrirang Appa Barne 956

(lxxvii) Tourism Development Board Bill, 2022
By Shri Shrirang Appa Barne 957

(lxxviii) Sculptors, Artists and Artisans of Rural Areas Upliftment Council Bill, 2022
By Shri Shrirang Appa Barne 958

(lxxix) Sportspersons (Reservation in Sports Bodies) Bill, 2022

By Shri Parvesh Sahib Singh Verma 959

(lxxx) Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2023
(Amendment of sections 267 and 273)

By Shri Parvesh Sahib Singh Verma 960

(lxxxi) Social Media and Over-the-Top Platform Regulatory Board Bill, 2022

By Kunwar Pushpendra Singh Chandel 961

(lxxxii) Constitution (Amendment) Bill, 2022
(Amendment of Article 72)

By Kunwar Pushpendra Singh Chandel 962

(lxxxiii) Man-Animal Conflicts Prevention Board Bill, 2023

By Shri V. K. Sreekandan 963

(lxxxiv) Hindu Succession (Amendment) Bill, 2023
(Amendment of sections 15 and 16)

By Shri V. K. Sreekandan 964

(lxxxv) Citizenship (Amendment) Bill, 2023
(Amendment of section 18)

By Shri V. K. Sreekandan 965

(lxxxvi) Criminal Law (Amendment) Bill, 2022
(Amendment of section 124A, etc.)

By Shri Kesineni Srinivas 966

(lxxxvii)	Government Legislative Proposals and Schemes (Impact Analysis and Post Implementation Assessment) Bill, 2022 **By Shri Kesineni Srinivas**	967
(lxxxviii)	Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2022 *(Amendment of section 125)* **By Shri Kesineni Srinivas**	968
(lxxxix)	Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Bill, 2023 *(Amendment of section 31A)* **By Shri Vishnu Dayal Ram**	969
(xc)	Judicial Accountability Bill, 2023 **By Shri Sudheer Gupta**	970-971
(xci)	Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals (Amendment) Bill, 2023 *(Insertion of new sections 19A and 19B)* **By Dr. Manoj Rajoria**	971
(xcii)	Compulsory Teaching of Lifestyle for Environment Bill, 2023 **By Dr. Manoj Rajoria**	972
(xciii)	Constitution (Amendment) Bill, 2022 *(Amendment of Articles 15 and 16)* **By Shri Sanjay Bhatia**	973
(xciv)	Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2022 *(Amendment of section 41)* **By Shri Sanjay Bhatia**	974

(xcv) Plastic Manufacturing (Regulation) Bill, 2019

By Shri Jasbir Singh Gill 975

(xcvi) Compulsory Teaching of Moral Ethics in Educational Institutions Bill, 2023

By Shri Ravi Kishan 976

(xcvii) Central Sanskrit Universities (Amendment) Bill, 2023
(Amendment of the First Schedule)

By Shri Ravi Kishan 977

(xcviii) Traditional Fishermen (Protection and Welfare) Bill, 2023

By Shri Ravi Kishan 978

(xcix) Constitution (Amendment) Bill, 2023
(Insertion of new Article 48B)

By Sushri Sunita Duggal 979

(c) Prevention of Wasteful Expenditure on Special Occasions Bill, 2020

By Shri Jasbir Singh Gill 981

(ci) Food Safety and Standards (Amendment) Bill, 2022
(Amendment of Section 3, etc.)

By Dr. DNV Senthilkumar S. 983

(cii) Victims of Accident (Equal Compensation) Bill, 2022

By Shri Sunil Kumar Singh 985

(ciii) High Courts (Use of Official Language) Bill, 2022

By Shri Sunil Kumar Singh 986

(civ) Railways (Amendment) Bill, 2022
(Insertion of new section 24A)
By Dr. Alok Kumar Suman 987

(cv) Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2022
(Amendment of the Schedule)
By Dr. DNV Senthilkumar S. 988

(cvi) Nursing Services (Regularisation of Service and Welfare) Bill, 2022
By Shri Ritesh Pandey 989

(cvii) Victims of Acid Attack, their Rehabilitation Support and Healthcare Bill, 2022
By Shri Dileshwar Kamait 990

(cviii) Terminated Employees (Welfare) Bill, 2022
By Shri Dileshwar Kamait 991

(cix) Prevention of Violence Against Healthcare Professionals and Clinical Establishments Bill, 2022
By Dr. DNV Senthilkumar S. 992

(cx) Patharughat National Farmers Memorial Bill, 2022
By Shri Dilip Saikia 993

(cxi) Private Coaching Centres Regulatory Board Bill, 2023
By Shri Dilip Saikia 994

(cxii) Compulsory Teaching of ill Effects of Drug Addiction in Schools Bill, 2023
By Shri Dilip Saikia 995

(cxiii) Compulsory Teaching and Practice of Bhagavad Gita in Educational Institutions Bill, 2022
By Shri Bhola Singh 996

(cxiv) Criminal Law (Amendment) Bill, 2022
(Insertion of new section 304C, etc.)
By Dr. Alok Kumar Suman 997

(cxv) Companies (Amendment) Bill, 2022
(Amendment of section 135)
By Shri Krishnapalsingh Yadav 998

(cxvi) Constitution (Amendment) Bill, 2022 (Substitution of new Article for Article 343)
By Shri Krishnapalsingh Yadav 999

(cxvii) Code on Social Security (Amendment) Bill, 2022
(Amendment of sections 2 and 53)
By Shri Krishnapalsingh Yadav 1000

(cxviii) Electronic Waste (Management and Disposal) Bill, 2021
By Shri Jugal Kishore Sharma 1001-1002

(cxix) Child Welfare Bill, 2021
By Shri Jugal Kishore Sharma 1002

(cxx) Representation of the People (Amendment) Bill, 2022
(Insertion of new Chapter IVA)
By Shri Abdul Khaleque 1003

(cxxi) Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2022
(Omission of paragraph 3)
By Shri Abdul Khaleque 1004

(cxxii) Criminal Law (Amendment) Bill, 2023
(Amendment of section 99, etc.)
By Shri Abdul Khaleque 1005

(cxxiii) Constitution (Amendment) Bill, 2022
(Amendment of Article 85)
By Shri Shyam Singh Yadav 1007

(cxxiv) Human Trafficking (Prevention and Control) Bill, 2023
By Shri Bhola Singh 1009

(cxxv) Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2023
(Amendment of the Schedule)
By Shri C. N. Annadurai 1011

(cxxvi) Small Land Holding Farmers (Protection and Welfare) Bill, 2023
By Shri G. Selvam 1013

(cxxvii) Andaman and Nicobar Islands (Right to Health) Bill, 2023
By Shri Kuldeep Rai Sharma 1014

(cxxviii) Welfare of Shopkeepers in Andaman and Nicobar Islands Bill, 2023
By Shri Kuldeep Rai Sharma 1015

(cxxix) Anganwadi Workers of Andaman and Nicobar Islands (Regularization of Service and Welfare) Bill, 2023
By Shri Kuldeep Rai Sharma 1016

(cxxx) Anganwadi Worker's Welfare Bill, 2022
By Shri M.K. Raghavan 1018

(cxxxi) Institute of Teaching and Research in Ayurveda (Amendment) Bill, 2023
(Amendment of Long Title, etc.)
By Shri M.K. Raghavan 1019

(cxxxii) Criminal Laws (Amendment) Bill, 2022
(Amendment of section 353, etc.)
By Shri M.K. Raghavan 1020

(cxxxiii) Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2022
(Amendment of section 20)
By Shri Hanuman Beniwal 1021

(cxxxiv) Government Servants (Regulation of Services) Bill, 2023
By Shri Om Pavan Rajenimbalkar 1022

*__ANNEXURE – I__

Member-wise Index to Starred Questions 925

Member-wise Index to Unstarred Questions 926-932

__*ANNEXURE – II__

Ministry-wise Index to Starred Questions 933

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 934

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, August 04, 2023/ Sravana 13, 1945 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**HON. SPEAKER** *in the Chair*]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न काल ।

… (व्यवधान)

11.01 hrs

At this stage, Shri Kodikunnil Suresh, Sushri Mahua Moitra and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): सर, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब तक इनका बिल था, कल इन्होंने चला दिया।… (व्यवधान) इनके अलायंस के कारण इन्होंने चला दिया।… (व्यवधान) अब भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यह बिल भी महत्वपूर्ण है, कल का ही बिल महत्वपूर्ण था, ऐसा नहीं है।… (व्यवधान) Even today's Bill is very important, Mr. Manickam Tagore. … (*Interruptions*) Please try to understand and cooperate with the Chair. … (*Interruptions*) आज के बिल पर चर्चा करेंगे।… (व्यवधान) अगर आप चाहते हैं तो प्राइवेट मेम्बर्स बिल पर भी हम चर्चा करेंगे।… (व्यवधान) कृपया ऐसा मत कीजिए कि एक बिल के समय चलाना और बाद में नहीं चलाना।… (व्यवधान) 'व्हिम एण्ड फैन्सी' की तरह इसे मत चलाइए।… (व्यवधान)

11.02 hrs

At this stage, Shri A. Raja *and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*

11.03 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 221.

(Q. 221)

SHRI M.V.V. SATYANARAYANA: Sir, is the Government aware that the CGHS Wellness Centres located at Visakhapatnam are not in a position to serve all the patients? … (*Interruptions*) They are struggling to get walk-in slots and online slots as all the online slots are getting exhausted three days prior. … (*Interruptions*) If so, is the Government planning to increase the number of online slots rather than walk-in slots, as walk-in patients are not getting their turn to see the doctor due to scarcity of doctors? … (*Interruptions*)

डॉ. भारती प्रवीण पवार : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह बताना चाहती हूं कि प्रश्न वाइज़ैग में सीजीएचएस सेन्टर के बारे में पूछा गया है। हम सीजीएचएस सेन्टर के बेनिफिशियरीज़ के लिए वेबिनार को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ताकि उन्हें मदद मिले।… (व्यवधान)

सर, इन्होंने ऑनलाइन सेन्टर की डिमांड की है, मैं बताना चाहती हूं कि वाइज़ैग में दो सेन्टर्स हैं - WC-I और WC-II. WC-I is presently temporarily shut for some days because of revamp work. … (*Interruptions*) Hence, the patients are getting online appointments through another Centre, namely WC-II. … (*Interruptions*)

सर, दूसरे सेन्टर के माध्यम से यह सुविधा दी जा रही है, लेकिन जैसा कि माननीय अध्यक्ष ने चिंता जताई है कि ऑनलाइन फैसिलिटीज़ कम हो गयी हैं तो दूसरा सेन्टर, जो इसे मैनेज कर रहा है, वह ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन सेवा भी दे रहा है, इसीलिए ऑनलाइन फैसिलिटीज़ को कम किया गया है।… (व्यवधान) WC-I जल्दी ही फंक्शनल होगा और हम सीजीएचएस के सभी लाभार्थियों को सेवा देंगे। हमारा विज़न ही है - 'Your health is our goal'. … (*Interruptions*) हम सीजीएचएस के माध्यम से इसे दे रहे हैं। आज पूरे भारत में सेन्टर्स की सुविधा बढ़ाई गयी है। वर्ष 2014 में हमारे सेन्टर्स सिर्फ 25 शहरों में थे, पर अभी इन्हें बढ़ाकर 80 शहरों में किया गया है। सीजीएचएस सेन्टर्स शहरों में लगभग दोगुना बढ़ाए गए हैं।… (व्यवधान)

इनके बढ़ने के बाद एलोपैथी के सेन्टर्स 254 से बढ़कर 340 हो गए हैं।... (व्यवधान) मुझे लगता है कि सुविधाएं जरूर बढ़ी हैं।... (व्यवधान) माननीय सदस्य को भी यह चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।... (व्यवधान) माननीय सदस्य को मैं जरूर आश्वस्त करती हूं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों ही सुविधाएं पेशेन्ट्स को सीजीएचएस के माध्यम से मिलेंगी।... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Member, please ask your supplementary.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Member, please ask your supplementary question.

SHRI M.V.V. SATYANARAYANA: Sir, what are the reasons for exhausting of online slots within a minute at the midnight soon after the online slots are open?

डॉ. भारती प्रवीण पवार : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ऑनलाइन स्लॉट्स के बारे में पूछा है, मैं फिर वही बोल रही हूँ कि ऑनलाइन फैसिलिटीज़ कम हो गयी हैं तो दूसरा सेन्टर, जो इसे मैनेज कर रहा है, वह ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन सेवा भी दे रहा है, इसीलिए ऑनलाइन फैसिलिटीज़ को कम किया गया है। जल्द ही वह सुविधा भी होगी। … (व्यवधान) इसके अलावा वहां पर ग्रिवांस की एक फैसिलिटी दी गई है तो उसके माध्यम से भी, ग्रिवांस एडवाइज़री कमिटी के माध्यम से भी हम बेनिफिशरी की मदद करते हैं। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या – 222, श्री कृपाल बालाजी तुमाने।

… (व्यवधान)

(Q. 222)

श्री कृपाल बालाजी तुमाने: स्पीकर महोदय, न्यूबॉर्न स्टेबिलाइजेशन यूनिट, जब बच्चा होता है और उसको स्वास्थ संबंधी कोई समस्या होती है, तो बड़ी मुश्किल से उन बच्चों को बचाने के लिए इस यूनिट का उपयोग होता है। … (व्यवधान) हम देख रहे हैं और ऐसा मुझे लगता है कि देश में इस यूनिट्स की संख्या थोड़ी कम है। … (व्यवधान) जैसा उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया है कि पूरे

महाराष्ट्र में 199 यूनिट्स हैं। … (व्यवधान) मुझे ऐसा लगता है कि आदिवासी एरिया में हमारे छोटे बच्चों को इस स्थिति का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है तो यह संख्या स्पेशली ट्राइबल एरिया में बढ़नी चाहिए। … (व्यवधान) मेरा प्रश्न है कि बच्चों के लिए इम्युनाइज़ेशन में क्या व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है और क्या व्यवस्था की जाने वाली है? … (व्यवधान)

डॉ. भारती प्रवीण पवार : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य तुमाने जी ने बच्चों के बारे में बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है कि जो बच्चे खास कर ट्राइबल एरिया में आते हैं, उनके लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है और इम्युनाइज़ेशन पर भी सांसद महोदय ने सवाल किया है। … (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से यह अवगत कराना चाहती हूँ कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बहुत ही अच्छे से इम्युनाइज़ेशन पर फोकस कर रही है। … (व्यवधान) अगर इम्युनाइज़ेशन के बारे में मैं कहूँ तो हमारे बच्चों को वैक्सिनेशन, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग डिज़ीज़ से बचाने के लिए है, जैसे ट्यूबरक्लॉसिस की वैक्सीन है, थिप्थीरिया की है, हाइड्रोसिस की है, पोलियो की है, डिटैलस की है, हैपेटाइसिस बी की है, मीज़ल्स की है, रुबेला है, निमोनिया और मेनिनजाइटिस है, इनके माध्यम से जो डिज़ीज़ होती हैं, उनको रोकने के लिए बहुत ही अच्छी इम्युनाइज़ेशन की व्यवस्था सरकार ने की है। … (व्यवधान) उसका शेड्यूल भी रहता है। … (व्यवधान) पीएचसी लेवल तक उनकी व्यवस्था भी की जाती है। … (व्यवधान) और रोटावायरस वैक्सीनेशन जो कि प्रिवेंशन करता है, रोटावायरल डायरिया से, उसकी वैक्सीन भी प्रोवाइड की जाती है। … (व्यवधान) उसके साथ ही, जो हमारी सरकार की पहल है कि बच्चों को सुरक्षित रखें, तो न्युमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन भी इंट्रोड्यूज़ की गई है। … (व्यवधान) उसके लिए बजट भी दिया गया है। … (व्यवधान) यह पहली बार हुआ है कि हमारी सरकार ने बच्चों के लिए इस तरीके की वैक्सीन फ्री में उपलब्ध करा दी है और हमारे डिस्ट्रिक्ट, सब-डिस्ट्रिक्ट, पीएचसी लेवल तक इसका प्रावधान है कि सभी क्षेत्रों को यह कवर करे। … (व्यवधान) जैसा आदरणीय सांसद महोदय ने कहा है कि एनबीएसयू की संख्या कम है। … (व्यवधान) लेकिन मैं यह कहूंगी कि जैसे-जैसे राज्य

सरकार से हमें प्रस्ताव आते हैं, उनके माध्यम से केंद्र सरकार उस मांग को पूरा करने के लिए बजट देती है। … (व्यवधान)

आदरणीय तुमाने जी को मैं यही कहूंगी कि इसके साथ अगर आप भी राज्य सरकार से कुछ प्रस्ताव देते हैं तो ज़रूर महाराष्ट्र के लिए भी केंद्र सरकार इसके लिए बजट देने पर विचार करेगी। हमारा ऐम यह है कि बच्चों के लिए यह सुविधा बने और खास कर यह सुविधा बेस्ट न्यूबॉर्न केयर है, जो कि हमारे बच्चों के लिए डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेजिस में उपलब्ध होती है। … (व्यवधान) मैं आदरणीय सांसद महोदय से आपके माध्यम से यह अनुरोध करती हूँ वे प्रपोज़ल्स जल्दी दें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ऑनरेबल मेम्बर, आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछें।

… (व्यवधान)

श्री कृपाल बालाजी तुमाने: अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न का बहुत अच्छी तरह से उत्तर दिया है।… (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि यूनिट की संख्या कम है और काफी जगहों पर यह खराब भी हो चुकी है।… (व्यवधान) ऐसी स्थिति में उनको दूसरे गांवों में जाना पड़ता है। दूसरे गांवों में उसकी सुविधा लेनी पड़ती है।… (व्यवधान) ऐसे में सरकार को न्यू बॉर्न बच्चों के लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।… (व्यवधान)

महोदय, मैं विशेष कर सवाल पूछना चाहता हूं कि जनजातीय क्षेत्र में अगर बच्चों को किसी ऑपरेशन की जरुरत हो तो सरकार द्वारा इसका क्या प्रावधान किया गया है? … (व्यवधान)

डॉ. भारती प्रवीण पवार: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय सांसद महोदय को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों के बारे में चिंता व्यक्त की है।… (व्यवधान) उन्होंने यह भी मांग की है कि खासकर छोटे बच्चे जो जीरो से 18 ईयर्स के बीच आते हैं, उनके लिए क्या सुविधा रहती है।… (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से उनको अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी आशा बहनें इसके लिए होम विजिट भी करती हैं। आज हमारे भारत में 10 लाख आशा बहनें काम कर रही हैं।… (व्यवधान) हमारी आशा बहनें आइडेंटिफाई करके हेल्प करती हैं। उसके साथ ही हमारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य

कार्यक्रम है। आरबीएसके ऐसी स्कीम है, जिसके माध्यम से हम जीरो से 18 **वर्ष** के बच्चों की अलग-अलग हेल्थ कंडीशंस के लिए स्क्रीनिंग भी करते हैं।... (व्यवधान) इसमें लगभग 30 हेल्थ कंडीशंस हैं। चाहे कोई भी डिजीज हो, कोई डिफिशिएन्सी हो, कोई डिफेक्ट हो, इसके लिए हम आरबीएसके स्कीम के अण्डर स्क्रीनिंग करते हैं।... (व्यवधान) बच्चों की सर्वाइवल के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं, वे सभी स्क्रीनिंग व्यवस्था में होती हैं।... (व्यवधान)

सर, जो डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटर्वेंशन सेंटर्स होते हैं, उनमें हम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ फैसिलिटी लेवल के माध्यम से इस्टैब्लिश करते हैं।... (व्यवधान) ये जो सेंटर्स हैं, वे कंफर्म करते हैं और मैनेजमेंट के लिए काम करते हैं। अगर इस तरीके से किसी बच्चे के ऑपरेशन की जरुरत है तो उसके लिए व्यवस्था की जाती है।... (व्यवधान) माननीय सदस्य ने इसके लिए चिंता जताई है कि अगर जनजातीय क्षेत्रों में किसी बच्चे के ऑपरेशन की जरुरत होती है, तब हम इस डीईआईसी कमेटी के माध्यम से बच्चों को चिन्हित करते हैं और उनके ऑपरेशन की व्यवस्था की जाती है।... (व्यवधान)

सर, इसके माध्यम से कुछ जिलों में बहुत अच्छी तरह से काम भी हो रहा है। कुछ जगहों पर तो कैंप भी आयोजित किए जाते हैं।... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंती हूं कि आप भी अपने क्षेत्र में ऐसा एक कैंप लगाइए।... (व्यवधान) वहां आरबीएसके के माध्यम से बच्चों की स्क्रीनिंग भी हो और उनको ट्रीटमेंट भी मिले।... (व्यवधान) हमारे लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी सरकार द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलाई गई एक पहल है, जिसके माध्यम से काफी अच्छा काम हो रहा है।... (व्यवधान) हम बच्चों के हेल्थ को लेकर बहुत चिंतित हैं और उनको सुविधा देने के लिए कटिबद्ध हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती भावना गवली

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्वेश्चन नंबर 223, श्री नामा नागेश्वर राव

... (व्यवधान)

(Q. 223)

श्री नामा नागेश्वर राव: स्पीकर सर, मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर में यूरिया के बारे में क्वेश्चन पूछा था।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मेम्बर, पहले आप क्वेश्चन नंबर बोलें।

… (व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव: सर, मैंने जो क्वेश्चन पूछा है, उसका ऑन्सर नहीं मिला है।… (व्यवधान) मेरा क्वेश्चन यह था कि अभी तक देश में यूरिया का पूरा रिक्वायरमेंट कितना है? सबसे ज्यादा जो सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है, वह सब्सिडी स्टेट और यूटी वाइज लास्ट फाइव ईयर्स की कितनी है?… (व्यवधान) इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन का उतर नहीं दिया गया है।… (व्यवधान) सिम्प्ली एक लमसम फीगर दिया गया है। यह फीगर 2,54,798 का है।… (व्यवधान) हमारा जो इम्पॉर्टेंट प्वाइंट है, वह यह है कि आज देश में फार्मर्स को यूरिया नहीं मिल रहा है। खासकर हमारे तेलंगाना में यूरिया की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है।… (व्यवधान) हमारी जितनी रिक्वायरमेंट थी, उसका 50 परसेंट भी नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों ने बहुत बार एप्रोच किया है।… (व्यवधान) अभी सिर्फ तेलंगाना में ही नहीं, बल्कि पूरे इंडिया में यूरिया की सप्लाई पूरी तरह से करने के लिए कब तक व्यवस्था की जाएगी? … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपका प्रश्न क्या है?

… (व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव: आप जो न्यू यूरिया पॉलिसी लाए हैं,… (व्यवधान)

मंत्री जी, आप एक मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए।… (व्यवधान)

श्री भगवंत खुबा: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य एक वरिष्ठ सदस्य हैं।…(व्यवधान) वे किसानों के ऊपर और खाद के ऊपर राजनीति न करें।…(व्यवधान) तेलंगाना गवर्नमेंट ही नहीं, देश की सारी गवर्नमेंट्स, बीजेपी की हो या गैर-बीजेपी की हो, मोदी सरकार के लिए वे सभी देश के किसान हैं और किसानों को खाद उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी मोदी सरकार की है।…(व्यवधान) पिछले 9

सालों में देश के किसानों को जितना उर्वरक चाहिए, उतना पूरा उर्वरक हम देश के किसानों को दे चुके हैं।...(व्यवधान) मैं माननीय सदस्य को यह कहना चाहता हूं कि आईएफएमएस सिस्टम के जरिए, देश की राज्य सरकारों की जितनी मांग है, उस मांग के तहत हर जिले के अंदर हमारी सप्लाई करने की व्यवस्था है।...(व्यवधान) इतना ही नहीं, जहां पर प्रोडक्शन होता है, जिस पोर्ट पर उर्वरक आता है, रेलवे डिपार्टमेंट को सशक्त करके और रेलवे डिपार्टमेंट के माध्यम से हम करीब 90 प्रतिशत डिमांड को पूरा करते हैं।...(व्यवधान) कृपया माननीय सदस्य इस तरह की गलत सूचना न दें।...(व्यवधान)

आज देश के अंदर किसानों को प्रति वर्ष 350 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की जरूरत है।...(व्यवधान) तेलंगाना को अब तक 7.24 लाख मीट्रिक टन हम लोगों ने एवलेबल करा दिया है।...(व्यवधान) आज के दिन वहां 8.92 लाख मीट्रिक टन एवलेबल है।...(व्यवधान) मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहता हूं कि 5.03 lakh metric tonne is available in Telangana today. ...(व्यवधान) इतना ही नहीं, प्रधान मंत्री जी ने विशेषकर किसानों का ध्यान रखते हुए, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले चार सालों में लगातार कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन मोदी सरकार ने वर्ष 2018-19 में सभी उर्वरकों के ऊपर 73,435 करोड़ रुपये सब्सिडी दी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ने की वजह से वर्ष 2022-23 के अंतर्गत 2,54,841.43 करोड़ रुपये सब्सिडी दी।...(व्यवधान) इतना ही नहीं, देश के अंदर भारत सरकार, मोदी सरकार किसान से 45 किलो यूरिया के ऊपर केवल 266 रुपये चार्ज करती है।...(व्यवधान) वहीं हमारा नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश 720 रुपये चार्ज करता है, पाकिस्तान 800 रुपये चार्ज करता है, चाइना 2,100 रुपया चार्ज करता है और यूएसए 3,000 रुपये चार्ज करता है।...(व्यवधान) दुनिया के अंदर सबसे कम रेट पर किसानों को उर्वरक देने वाली एक मात्र सरकार मोदी सरकार है। धन्यवाद।...(व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव: मंत्री महोदय, हम किसान के बारे में बात करें और आप उसे राजनीति बोलें तो यह अच्छा नहीं लगेगा। यह आपको शोभा नहीं दे रहा है।...(व्यवधान)

दूसरी बात, आप ही के मुंह से यह निकला है कि हम लोग सिर्फ 90 पर्सेंट उर्वरक तक दे रहे हैं।...(व्यवधान) मतलब आपने खुद एग्री किया है कि इसकी 100 पर्सेंट रिक्वायरमेंट नहीं दे पा रहे हैं, 90 पर्सेंट ही दे रहे हैं।...(व्यवधान) मेरा सप्लीमेंट्री क्वैश्चन यह है कि आप ऐज ऑन डेट कितना इंपोर्ट कर रहे हैं?...(व्यवधान) हंड्रेड पर्सेंट इंडिजनस करने के लिए आपकी न्यू यूरिया पॉलिसी के अनुसार देश में हर एक किसान को, हर एक आदमी को, हर एकड़ के हिसाब से कब तक यूरिया मिलेगी? उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए।...(व्यवधान)

श्री भगवंत खुबा: अध्यक्ष महोदय, मैंने 90 पर्सेंट थ्रू रेलवे रैक्स के माध्यम से बोला।...(व्यवधान) यानी किसान को 100 प्रतिशत या उससे भी ज्यादा उर्वरक की एवलेबिलिटी आज के दिन में हर राज्य के अन्दर है।...(व्यवधान)

सप्लीमेंटरी प्रोडक्शन के लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत अक्तूबर, 2014 में मोदी सरकार ने अमेंडमेंट किया। इसमें से छह नए यूनिट्स में इंन्डिजनस्ली प्रोडक्शन होगा। मोदी सरकार हर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनना चाहती है। ... (व्यवधान) इसी के कारण, उर्वरक क्षेत्र में भी, यूरिया के प्रोडक्शन में, देश आत्मनिर्भर होगा। छह यूनिटों में से प्रत्येक यूनिट की कैपिसिटी 12.7 लाख मीट्रिक टन है। यदि छह यूनिट्स को एक्यूमिलेटिव करते हैं तो 76.2 लाख मीट्रिक टन देश में उत्पादन हो रहा है। इसमें पांच यूनिट्स ऑलरेडी कमिशन्ड हो चुकी हैं और प्रोडक्शन हो रहा है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, प्रश्न काल महत्वपूर्ण विषय है। किसानों के विषय पर चर्चा हो रही है। मेरा आपसे आग्रह है कि प्रश्न काल को चलने दें। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावित विधेयक **हैं।** क्या आप प्रश्न काल पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रस्तावित महत्वपूर्ण विधेयकों पर क्या आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं? क्या आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कीजिए । मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपको हर मुद्दे पर बोलने के लिए पर्याप्त समय और अवसर मिलेगा। यह देश देख रहा है कि आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं।

… (व्यवधान)

*__WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS__

(Starred Question Nos. 224 to 240

Unstarred Question Nos. 2531 to 2760)

(Page No. 35 to 818)

माननीय अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही बारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

__11.22 hrs__

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

---

*Available in Master copy of Debate, placed in Library.

12.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृति नहीं दी है।

… (व्यवधान)

12.00½ hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर -2 Shri Arjun Ram Meghwal.

12.01 hrs

At this stage, Shri Benny Behanan, Shri A. Raja and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति जी, मैं भारतीय अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019 की धारा 32 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र र तथा रजिस्ट्रापदों की संख्या), काउंसेल और अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्तीसंशोधन नियम (, 2023 जो फरवरी 17, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संमें प्रकाशित हुए थे। (अ)108.नि.का.सा .

(2) नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र क्ष और निबंधन और शर्तें तथा अध्य) को संदेयपूर्णकालिक सदस्यों वेतन और भत्तेसंशोधन नियम (, 2023 जो फरवरी 17, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संमें प्रकाशित हुए थे। (अ)109.नि.का.सा .

(3) नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (लेखाओं के वार्षिक विवरण का प्ररूप) संशोधन नियम, 2023 जो फरवरी 17, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं . काशित हुए थे।में प्र (अ)110.नि.का.सा

(4) नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र को संदेय यात्रा और अंशकालिक सदस्यों) संशोधन नियम (भत्तेअन्य, 2023 जो फरवरी 17, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संमें प्रकाशित हुए थे। (अ)111.नि.का.सा .

(5) भारतीय अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र क)ारबार का संव्यवहारविनियम (, 2023 जो मार्च 31, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं-2023/3/60011-ए .सं.एफ. आईआईएसी में प्रकाशित हुए थे।

(6) भारतीय अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (माध्यस्थों की तालिका में प्रवेश हेतु मानदंड) विनियम, 2023 जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं.ए-60011/3/2023-आईआईएसी में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9874/17/23]

HON. CHAIRPERSON: Item No. 3, Shri Shripad Yesso Naik.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Sir,I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Seamen's Provident Fund Organisation (Navik Bhavishya Nidhi), Mumbai, for the year 2021-2022, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Seamen's Provident Fund

Organisation (Navik Bhavishya Nidhi), Mumbai, for the year 2021-2022.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9875/17/23]

(3) A copy of the Notification No. S.O.2372(E) (Hindi and English Versions) published in Gazette of India dated 1st June, 2023 allowing Cochin Shipyard Limited to perform Aadhaar authentication facility, on voluntary basis, for identification using "Yes" or "No" option authentication of residents entering its premises issued under Section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 9876/17/23]

HON. CHAIRPERSON: Item No. 4, Dr. Munjapara Mahendrabhai.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AYUSH (DR. (PROF.) MAHENDRA MUNJAPARA): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the National Commission for Indian System of Medicine (Submission of List of the Medical Practitioners) (Amendment) Rules, 2023 (Hindi and English versions) published in Notification No.

G.S.R.479(E) in Gazette of India dated 5th July, 2023 under Section 56 of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020.

[Placed in Library, See No. LT 9877/17/23]

(2) A copy of the Homoeopathy (Recognition of Qualification of Homoeopathy) Regulations, 2023 (Hindi and English versions) published in Notification No. F.No. 3-41/2022/NCH/HEB/Regulation-DRL-Pt. in Gazette of India dated 19th July, 2023 under Section 56 of the National Commission for Homoeopathy Act, 2020.

[Placed in Library, See No. LT 9878/17/23]

HON. CHAIRPERSON: Item No. 5, Secretary General.

… (*Interruptions*)

12.01½hrs

MESSAGES FROM RAJYA SABHA AND BILLS AS PASSED BY RAJYA SABHA*

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

(i) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 2nd August, 2023 agreed without any amendment to the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 26th July, 2023."

(ii) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 2nd August, 2023 agreed without any amendment to the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2023 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 27th July, 2023."

(iii) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am

* Laid on the Table.

directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 3rd August, 2023 agreed without any amendment to the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Amendment Bill, 2023 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 1st August, 2023."

(iv) "In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Press and Registration of Periodicals Bill, 2023 which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 3rd August, 2023."

(v) "In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Advocates (Amendment) Bill, 2023 which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 3rd August, 2023."

Sir, I lay on the Table the Press and Registration of Periodicals Bill, 2023 and the Advocates (Amendment) Bill, 2023, as passed by the Rajya Sabha on the 3rd August, 2023.

12.02 hrs

STANDING COMMITTEE ON WELFARE OF OTHER BACKWARD CLASSES

22nd to 25th Reports

SHRI RAJESH VERMA (SITAPUR): Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Committee on Welfare of Other Backward Classes:-

(1) Twenty-second Report of the Committee (2022-23) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in their Fifteenth Report (Seventeenth Lok Sabha) on Measures undertaken to secure representation of OBCs in employment and for their welfare in Canara Banka pertaining to Ministry of Finance (Department of Financial Services).

(2) Twenty-third Report of the Committee (2022-23) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in their Sixteenth Report (Seventeenth Lok Sabha) on Measures undertaken to secure representation of OBCs in employment and for their welfare in Gas Authority of India Limited (GAIL) pertaining to Ministry of Petroleum and Natural Gas.

(3) Twenty-fourth Report of the Committee (2022-23) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in their Seventeenth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Committee on Welfare of OBCs on Measures undertaken to secure representation

of OBCs in employment and for their welfare in Airports Authority of India (AAI) pertaining to Ministry of Civil Aviation.

(4) Twenty-fifth Report of the Committee (2022-23) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in their Eighteenth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Committee on Welfare of OBCs on Measures undertaken to secure representation of OBCs in employment and for their welfare in BSNL and MTNL pertaining to Ministry of Communications (Department of Telecommunications).

12.02 ½hrs

STANDING COMMITTEE ON DEFENCE

Action Taken Statements

SHRI ANNASAHEB SHANKAR JOLLE (CHIKKODI): I beg to lay the Final Action Taken Statements (Hindi and English versions) of the Government on the Recommendations contained in Chapter I and V of the following Reports of the Committee:-

(i) Ninth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Defence (2020-21) on the Observations/Recommendations contained in the Twenty-third Report (Sixteenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Defence (2016-17) on Proxy and Postal voting by Defence Services personnel in General Elections – an Evaluation.

(ii) Tenth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Defence (2020-21) on the Observations/Recommendations contained in the Fiftieth Report (Sixteenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Defence (2018-19) on Provision of all weather road connectivity under Border Roads Organisation (BRO) and other agencies upto international borders as well as the strategic areas including approach roads – an Appraisal.

(iii) Eleventh Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Defence (2020-21) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the First Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Defence (2019-

20) on Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2019-20 on General Defence Budget, Borders Roads Organisation, Indian Coast Guard, Military Engineer Services, Directorate General Defence Estates, Defence Public Sector Undertakings, Canteen Stores Department, Welfare of Ex-Servicemen, Ex-Servicemen Contributory Health Scheme, Defence Pensions, Sainik Schools (Demand Nos. 18 and 21).

(iv) Twelfth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Defence (2020-21) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Second Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Defence (2019-20) on Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2019-20 Army, Navy, Air Force and Joint Staff (Demands Nos. 19 and 20).

(v) Fourteenth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Defence (2020-21) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Fifth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Defence (2019-20) on Demands for Grants for the Ministry of Defence for the year 2020-21 on General Defence Budget, Borders Roads Organisation, Indian Coast Guard, Military Engineer Services, Directorate General Defence Estates, Defence Public Sector Undertakings, Canteen Stores Department, Welfare of Ex-Servicemen, Ex-Servicemen Contributory

Health Scheme, Defence Pensions, Sainik Schools (Demand Nos. 18, 19, 20 and 21).

(vi) Fifteenth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Defence (2020-21) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Sixth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Defence (2019-20) on Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2020-21 on Army, Navy, Air Force and Joint Staff (Demand Nos. 19 and 20).

(vii) Seventeenth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Defence (2020-21) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Third Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Defence (2019-20) on Demands for Grants for the Ministry of Defence for the year 2019-20 on Capital Outlay on Defence Services, Procurement Policy, Defence Planning and Married Accommodation Project (Demand No. 20).

(viii) Eighteenth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Defence (2020-21) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Seventh Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Defence (2019-20) on Demands for Grants for the Ministry of Defence for the year 2020-21 on Capital Outlay on Defence Services, Procurement Policy, Defence Planning and Married Accommodation Project (Demand No. 20).

(ix) Twenty-Third Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Defence (2021-22) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Nineteenth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Defence(2020-21) on Demands for Grants for the Ministry of Defence for the year 2020-21 on General Defence Budget, Border Roads Organisation, Indian Coast Guard, Defence Estates Organisations, Defence Public Sector Undertakings, Canteen Stores Department, Welfare of Ex-Servicemen and Defence Pensions (Demand Nos. 18 and 21).

(x) Twenty-fourth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Defence (2021-22) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Twentieth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Defence (2020-21) on Demands for Grants for the Ministry of Defence for the year 2021-22 on Army, Navy, Air Force and Joint Staff, Military Engineer Services, Ex-Servicemen Contributory Health Scheme and Sainik Schools (Demand Nos. 19 and 20).

(xi) Twenty-fifth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Defence (2021-22) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Twenty-first Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Defence (2020-21) on Demands for Grants for the Ministry of Defence for the year 2021-

22 on Capital Outlay on Defence Services, Procurement Policy, Defence Planning and Married Accommodation Project (Demand No. 20).

(xii) Thirtieth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Defence (2021-22) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Twenty-Second Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Defence (2020-21) on Demands for Grants for the Ministry of Defence for the year 2021-22 on Ordnance Factories, Defence Research and Development Organisation, Directorate General of Quality Assurance and National Cadet Corps (Demand no. 19 and 20).

12.03 hrs

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS

Statement

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Sir, I beg to lay the Statement (Hindi and English versions) showing Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Twenty-first Report of the Standing Committee on External Affairs (Seventeenth Lok Sabha) on action taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Fifteenth Report on the subject Welfare of Indian Diaspora: Policies/Schemes.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 9, श्री सतीश कुमार गौतम जी।

…(व्यवधान)

12.05 hrs

STANDING COMMITTEE ON LABOUR, TEXTILES AND SKILL DEVELOPMENT

49th and 50th Reports

श्री सतीश कुमार गौतम (अलीगढ़) : महोदय, मैं श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित 'प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) का कार्यकरण' संबंधी 49वां प्रतिवेदन।

(2) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित 'संगठित और असंगठित क्षेत्रों में वस्त्र कामगारों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और सामाजिक सुरक्षा उपाय' संबंधी 50वां प्रतिवेदन।

…(व्यवधान)

12.06 hrs

STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE

146th to 148th Reports

HON. CHAIRPERSON: Item No. 10, Dr. Krishna Pal Singh Yadav.

… (*Interruptions*)

SHRI KRISHNAPALSINGH YADAV (GUNA): I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Health and Family Welfare:-

(1) 146th Report on the Action Taken by the Government on the Recommendations/Observations contained in the 138th Report of the Committee on 'Medical Devices: Regulations & Control'.

(2) 147th Report on the Action Taken by the Government on the Recommendations/Observations contained in the 139th Report of the Committee on 'Cancer Care Plan & Management: Prevention, Diagnosis, Research & Affordability of Cancer Treatment'.

(3) 148th Report on 'Mental Health Care and its Management In Contemporary Times'.

…(*Interruptions*)

12.06½ hrs

STANDING COMMITTEE ON PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES, LAW AND JUSTICE

132nd Report

HON. CHAIRPERSON: Item No. 11, Shri Suresh Kumar Pujari.

… (*Interruptions*)

SHRI SURESH PUJARI (BARGARH): I beg to lay on the Table One Hundred Thirty-second Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice on the subject 'Specific Aspects of Election Process and their Reforms'.… (*Interruptions*)

____

माननीय सभापति : आइटम नंबर 12, श्री अजय भट्ट जी ।

… (व्यवधान)

<u>12.07 hrs</u>

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of recommendations contained in the 26th Report of the Standing Committee on Defence on Demands for Grants (2022-23), General Defence Budget, Border Roads Organisation, Indian Coast Guard, Defence Estates Organisation, Defence Public Sector Undertakings, Canteen Stores Department, Welfare of Ex-Servicemen and Defence Pension (Demand Nos. 19 and 22) pertaining to the Ministry of Defence*

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (एडवोकेट अजय भट्ट): महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन**,** भारतीय तट रक्षक, रक्षा संपदा संगठन, सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रम, कैंटीन भंडार विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण और रक्षा पेंशन (मांग सं**.** 19 और 22)' के बारे में अनुदानों की मांगों (2022-23) के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

HON. CHAIRPERSON: Item No. 13, Shri Arjun Ram Meghwal.

… (*Interruptions*)

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 9873/17/23.

12.09 hrs

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): With your permission Sir, I rise to lay the Government Business for the remaining part of the 12th Session, …(*Interruptions*) हाउस ऑर्डर में नहीं है, इसलिए मैं ले करता हूं। This will consist of:-

(1) Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper: - [it contains: - Consideration and passing of the following Bills: - (i) The Inter-Services Organisations (Command, Control and Discipline) Bill, 2023; and (ii) The Indian Institute of Management (Amendment) Bill, 2023]

(2) Consideration and Passing of the following Bills:-

(i) The Digital Personal Data Protection Bill, 2023; and

(ii) The Pharmacy (Amendment) Bill, 2023.

(3) Consideration and passing of the Anusandhan National Research Foundation Bill, 2023, *after its introduction.*

(4) Consideration and passing of the following Bills, *as passed by Rajya Sabha;-*

(i) The Mediation Bill, 2023;

(ii) The Press and Registration and Periodicals Bill, 2023; and

(iii) The Advocates (Amendment) Bill, 2023.

… (*Interruptions*)

12.09½ hrs

ELECTION TO COMMITTEE

All India Institute of Medical Sciences (AIIMS),
Bilaspur (Himachal Pradesh)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. BHARATI PRAVIN PAWAR): On behalf of Dr. Mansukh Mandaviya, I beg to move the following: -

> "That in pursuance of Section 4(g) read with Section 6(3) of the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) Act, 1956, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, one member from amongst themselves to serve as member of the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Bilaspur(Himachal Pradesh) vice Shri Rattan Lal Kataria passed away on 18.05.2023, subject to the other provisions of the said Act."

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) अधिनियम, 1956 की धारा 6(3) के साथ पठित धारा 4(छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन श्री रतन लाल कटारिया, जिनका 18.05.2023 को निधन हो गया, के स्थान पर अखिल

भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

... (व्यवधान)

12.10 hrs

MOTION RE: 43RD REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, I beg to move:

"That this House do agree with the Forty-third Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 3rd August, 2023."

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 3 अगस्त, 2023 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 43**वें** प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, मैं समझता हूं कि कल बहुत अच्छा वातावरण था। आप सबने सहयोग किया, चर्चा में भाग लिया और अपने विचार रखे, जो भी आप रखना चाहते थे। आप उसी क्रम को आगे बढ़ाइए। संसद के अंदर, लोक सभा के अंदर चर्चा होनी चाहिए। कल का जो दृश्य था, वह बेहतर था। आज का दृश्य अच्छा नहीं है। Please go back to your seats.

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 16, माननीय मंत्री जी। अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक, 2023.

… (व्यवधान)

12.11 hrs

ANUSANDHAN NATIONAL RESEARCH FOUNDATION BILL, 2023*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES, MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY, AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to establish the Anusandhan National Research Foundation to provide high level strategic direction for research, innovation and entrepreneurship in the fields of natural sciences including mathematical sciences, engineering and technology, environmental and earth sciences,

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 4.8.2023.

health and agriculture, and scientific and technological interfaces of humanities and social sciences, to promote, monitor and provide support as required for such research and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि प्राकृतिक विज्ञान, जिसमें गणितीय विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य और कृषि और मानवीय और सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक और तकनीकी इंटरफेस शामिल हैं, के क्षेत्र में अनुसंधान, नवपरिवर्तन और उद्यमिता के लिए उच्च स्तरीय नीतिगत निदेश प्रदान करने, ऐसे अनुसंधान के लिए यथा अपेक्षित निगरानी प्रोन्नत और सहायता प्रदान करने और उससे संबंधित मामलों या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए अनुसंधान, राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान स्थापित करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. JITENDRA SINGH: Sir, I introduce** the Bill.

… (*Interruptions*)

** Introduced with the recommendation of the President.

12.12 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय सभापति : जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने विषयों के अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के अन्दर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

…(व्यवधान)

(i) Regarding alleged illegal mining activities in Bharatpur Parliamentary Constituency

श्रीमती रंजीता कोली (भरतपुर):भरतपुर संसदीय क्षेत्र (राजस्थान) में हो रहे अवैध खनन के संबंध में भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में खनन माफियाओ द्वारा भरतपुर जिले की पहाडी तहसील के गांव नांगल व धौलेट में अपनी लीजों के साथ आस-पास के क्षेत्र व अन्य खनन पट्टों के बाहर जाकर बड़ी मात्रा में खनन करके करोंडों रूपए का राजस्व नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लोगों की शिकायतों के दबाव के बाद गांव नांगल स्थित खनन पट्टा संख्या एमएल संख्या 273/2 अवैद्य खनन को लेकर शिकायत किए जाने उच्चाधिकारियों के निर्देश पर खनिज अभि० भरतपुर की टीम द्वारा दिनांक 15.10.2020 को उक्त खनन लीजों का मौका निरीक्षण किया गया जिसमें भारी मात्रा में अवैद्य खनन सामने आया लेकिन कथित रूप से स्थानीय राजनीतिक संरक्षण के चलते दिनांक 10.11.2020 को खानापूर्ति करते हुए मात्र 10 करोड एवं 35 लाख की पैनल्टी नोटिस जारी किया गया व दिनांक 22.12.2020 का मांग कायम करते हुए पैनल्टी राशि का जमा कराने के लिए लिखा गया था जो कि अभी तक जमा हुई है या नहीं पता नहीं है। मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि वह इसकी जांच ई डी अथवा सीबीआई से करवाने की कृपा करें।

---

* Treated as laid on the Table.

(ii) Regarding eligibility of Course Completed Act Apprentices trained in Railway Establishment for the posts notified by Railways

श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे (रावेर):रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने लेवल-1 कोर्स कम्पलीटेड एक्ट अपरेंटिस (CCAAS) जिन्होंने रेलवे की एस्टाब्लिशमेंट से अप्रेंटिसशिप 12.04.2019 के पहले कम्पलीट किये हुए है। ऐसे पात्र उम्मीदवारों से एप्लीकेशन के लिये नोटीफाई किया था, जिसकी चयन प्रक्रिया हाल ही में शुरू हुई है। कोर्स कम्पलीटेड एक्ट अपरेंटिस (CCAAS) बैच 109 के कैंडिडेट्स जिन्होंने आईटीआई और अप्रेंटिसशिप कम्पलीट किये हुए है, ऐसे लगभग 8000 से 10000 कैंडिडेट्स को रेलवे बोर्ड ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय फेल किया है। यह कह कर कि उनके NAC सर्टिफिकेट में अप्रेंटिसशिप कम्पलीट करने की तिथि अप्रैल 2019 दर्ज है और यह तिथि 12.04.2019 नहीं होने से ऐसे सभी कोर्स कम्पलीटेड एक्टअपरेंटिस को रिजेक्ट किया है। जबकि इन कैंडिडेट्स का 20% कोटा रेलवे बोर्ड के भर्ती में होता है और इस नोटिफिकेशन में अभी भी 10000 से ऊपर पोस्ट रिक्त है। रेलवे के कुछ जोन में ऐसे कैंडिडेट्स को कंसीडर किया है और जोइनिंग भी दी हुई है। जैसा कि सामान्यत SSC सर्टिफिकेट में कभी भी पासिंग डेट दर्ज नहीं होती, सर्टिफिकेट इशू डेट लिखी जाती है, इसी तरह इन कैंडिडेट्स को DGT ने सर्टिफिकेट में अप्रेंटिसशिप कम्पलीट किया हुआ माह अप्रैल लिखा है। देश भर के लगभग सभी एरिया के छात्रों ने यह बात अनेक माध्यम से सामने लाई/रखी है। DGT के कई रीजनल डायरेक्टरों ने कैंडिडेट्स के रिक्वेस्ट पर एक एडिशनल लेटर इशू किया है, जिसमे इन कैंडिडेट्स को पात्र करने के लिए सर्टिफ़ाई किया है, मै DGT ने इशू किये हुए NAC सर्टिफिकेट जिसमे अप्रैल 2019 लिखे हुए है ऐसे सभी अप्रेंटिसशिप कम्पलीट किए हुए सभी कोर्स कम्पलीटेड एक्ट अपरेंटिस (CCAAs) कैंडिडेट्स को जो बाकी प्रकिया में पात्र है और NAC सर्टिफिकेट अप्रैल 2019 के तहत रिजेक्ट किये है इन सभी कैंडिडेट्स को इस भर्ती प्रक्रिया में पात्र करने तथा रेलवे नौकरी में जोइनिंग देने के लिए सरकार से तथा माननीय रेलवे मंत्री जी से निवेदन करती हूँ।

(iii) Need to declare Jharkhand as a 'drought-hit' State

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): मैं सरकार का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिला के साथ-साथ झारखण्ड राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश नहीं होने के कारण सुखाड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस वर्ष एक जून 2023 से जुलाई माह तक 238.8 मिमी बारिश ही अभी तक हुई हैं जबकि इस समय तक 455.9 मिमी बारिश होनी चाहिए। थी। झारखण्ड के 24 जिलों में बारिश बहुत कम हुई है विशेषकर पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, गोड्डा, साहेबगंज एवं पाकुड़ में इस दौरान बारिश बिलकुल ही नही हुई है में तथा पूरे झारखंड में मानसून के आने से अभी तक लगभग 48% कम बारिश हुई है। विदित है कि राज्य की 80 प्रतिशत आबादी कृषि पर ही निर्भर करती है। वर्षा की कमी के चलते विचड़ा खेत में ही सूख गया। मक्का एवं तिलहन फसल होने की भी कोई उम्मीद नहीं है। वर्ष 2023-24 के लिए खरीफ मौसम के दौरान बारिश में भारी कमी को देखते हुए झारखण्ड राज्य को सुखाड़ घोषित करने तथा आने वाले महिनों में राज्य में खाने-पीने के सामानों का संकट के साथ-साथ पशुओं को चारा प्रबन्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ सुखाड़ कारण झारखण्ड के किसानों को हुई आर्थिक क्षति का आकलन, राज्य के फसल पैटर्न का विश्लेषण करने एवं राज्य के वर्षा पैटर्न में बदलाव के चलते वैकल्पिक फसल पैटर्न और विधियों के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन करने की भी आवश्यकता है। अतः मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूँ कि झारखंड राज्य के किसानों को हुई आर्थिक क्षति का आकलन करते हुए सुखाड़ घोषित करने कीकृपा की जाए।

(iv) Regarding permanent political solution for the Darjeeling region

SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): The Gorkhas face acute 'crisis of identity' despite being indigenous to the land. The Gorkhas are time and again labelled as "outsiders". We did not cross the border, the borders crossed us. Our region was not a part of West Bengal till 1954. Since then, our political rights have been curtailed. There is a constant attack on our socio-cultural heritage. Our language is treated as secondary. Despite being one of highest revenue generating regions in West Bengal - Darjeeling hills, Terai and Dooars have remained grossly underdeveloped. This is why, the demand for Gorkhaland state keeps on cropping up time and again. In order to address the 'identity crisis' faced by the Gorkhas, our Government has assured them of Permanent Political Solution. PPS within the framework of our Constitution, which will do justice to their aspirations. The 1st round of talks for PPS has already been completed. However, there has been inordinate delay in conducting the talks further. I, therefore, request the Union Ministry of Home Affairs to kindly take urgent steps for Permanent Political Solution for the Darjeeling region.

(v) Need to extend various railway services in Prayagraj, Uttar Pradesh

श्रीमती केशरी देवी पटेल (फूलपुर): मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं माननीय रेल मंत्री का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ जिनके अथक प्रयासों से भारतीय रेलवे नित नए आयाम हासिल कर रही है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र कुम्भ नगरी प्रयागराज, उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला है और यह कुम्भ नगरी भी है। यहाँ पर 2025 में महाकुम्भ भी प्रस्तावित है। इस लिहाज़ से भी यहाँ कुछ मार्गों जहाँ पर लोगों का अधिक से अधिक आवागमन होता है वहाँ पर जनहित में कुछ कार्य करने की अति आवश्यकता है, जिसका विवरण इस प्रकार है:- 1. कानपुर नई दिल्ली शताब्दी ट्रेन को प्रयागराज जंक्शन तक बढ़ाया जाए। 2. वन्दे भारत ट्रेन जो वर्तमान में गोरखपुर से लखनऊ तक आती है उसको प्रयागराज से अतिशीघ्र चलाया जाए जो पहले से प्रस्तावित है। इसी वन्दे भारत ट्रेन जो दिल्ली से बनारस सुबह प्रस्थान करती है, इसी समय पर यदि एक ट्रेन प्रयागराज या बनारस से सुबह दिल्ली चलाई जाए ताकि आवागमन के लिये जन सामान्य को बहुत सुविधा मिल सके। इसका भी प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा जा चुका है। इसको भी अतिशीघ्र शुरू किया जाए 3. मुंबई दोरंतो एवं प्रयागराज अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस को प्रतिदिन किया जाए। 4. सुबेदारगंज स्टेशन का नाम बदलकर प्रयागराज कैंट रखा जाए एवं प्रयागराज रूट पर चलने वाली सभी. राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव व सीटों का कोटा बढ़ाया जाए। मेरा माननीय रेल मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि उक्त कार्यों को जनहित में जल्द से जल्द शुरू करवाने का कष्ट करें।

(vi) Need to operationalise the declared trains on Forbesganj - Narpatganj railway section

श्री प्रदीप कुमार सिंह (अररिया): मेरे संसदीय क्षेत्र के फारबिसगंज से नरपतगंज होते हुए सहरसा के बीच अमान परिवर्तन को लेकर विगत 15 सालों से तथा 1934 के भूकंप से ध्वस्त हो चुके दरभंगा की रेल सेवा पिछले 88 वर्षों से बंद है। अब जबकि यह दोनों रेलखंड फारबिसगंज से ट्रेनों के परिचालन के लिए पूरी तरह तैयार है, फारबिसगंज से इसकी कनेक्टिविटी भी कर दी गई है। 11 जनवरी को मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा निरीक्षण करके अनापत्ति प्रमाण पत्र भी दे दिया गया है तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के कटिहार एवं पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल द्वाराकहा गया हैकी ट्रेन परिचालन को लेकर हम लोगों के यहां से कोई भी तकनीकी समस्या नहीं है। आज से 4 महीने पूर्व इ सी रेलवे द्वाराजोगबनी से फारबिसगंज होकर दानापुर एवं सहरसा के लिए 2 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों तथा दरभंगा एवं सहरसा से 2 जोड़ी ट्रेनों कोफारबिसगंज तक विस्तारित करते हुए इसकी समय सारणी भी जारी कर दी है। फिर ऐसे में इस रेलखंड पर यात्री ट्रेनों का अब तक परिचालन शुरू नहीं किया जाना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी वजह से लोगसड़क मार्ग से यात्रा करने को मजबूर हैं। माननीय रेल मंत्री से अनुरोध है कि इस रेलखंड पर घोषित ट्रेनों के परिचालन को शुरू करें।

(vii) Need to refund money of investors of cooperatives

श्री विवेक नारायण शेजवलकर (ग्वालियर): सहारा समूह की सहकारी समितियों में निवेशकों की जमा राशि लौटाने की प्रकिया प्रारंभ हो चुकी है, जो कि लंबे समय से फंसी हुई थी और एक बहुत बड़ा वर्ग इससे प्रभावित था। सहकारिता मंत्रालय की प्रतिबद्धता ऐसे उन सभी लोगों को राहत प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो वर्षों से अपनी मेहनत की कमाई वापस पाने का इंतजार कर रहे हैं। 18 जुलाई 2023 को सहारा रिफंड पोर्टल के लॉन्चिंग होने के साथ ही पैसे लौटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह पहली बार है जब जमाकर्ताओं को ऐसे मामले में उनके पैसे वापस मिल रहे हैं। इससे उन निवेशकों में भी आशा जागी है जिनका सहारा की तरह अन्य कंपनियों में लंबे समय से पैसा फंसा हुआ है । क्या सहारा के तर्ज पर उन कंपनियों में फंसे निवेशकों के पैसे लोटाने की दिशा में कोई कार्यवाही गतिशील हैं यदि हां तो इसका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(viii) Need to open Sports Authority of India (SAI) centre in Chhattisgarh

श्री सुनील कुमार सोनी (रायपुर): मैं माननीय खेल मंत्री जी भारत सरकार का ध्यान निम्न विषय पर आकर्षित करना चाहता हूँ कि विगत 5 वर्षों में खेल मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार को किन-किन मदों में कितनी राशि जारी की गई है। माननीय मंत्री जी विगत 4 वर्षों में 5 करोड़ रूपये की राशि एक्सलेंस सेंटर बरचराई बिलासपुर को तीरंदाजी हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को जारी की गई है, किन्तु आज पर्यंत राज्य सरकार द्वारा उक्त तीरंदाजी केन्द्र हेतु एक भी उपकरण क्रय नहीं किया गया है। मैं सरकार ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है, जहाँ तीरंदाजी खेल की अपार संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ राज्य, जो कि मध्यप्रदेश से अलग होकर बने लगभग 23 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) का कार्यालय आज तक छत्तीसगढ़ में नहीं खोला गया है। अतः मेरा विनम्र अनुरोध है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय खेल प्राधिकरण का कार्यालय खोलते हुए विभिन्न खेलों हेतु अलग-अलग कोच नियुक्त किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें, जिससे कि छत्तीसगढ़ राज्य में उपलब्ध संसाधन जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के माध्यम से खेल का विकास किया जा सके।

(ix) Need to extend the services of Brahmaputra mail upto Jaipur

श्री नरेन्द्रकुमार (झुन्झुनू): ट्रेन संख्या 15657/15658 ब्रह्मपुत्र मेल दिल्ली से कामाख्या के बीच चलती है। ब्रह्मपुत्र मेल को अगर दिल्ली से लोहारू, झुंझुनूं, सीकर, रिंगस से होते हुए ढेहर का बालाजी/खातीपुरा (जयपुर) बढ़ा दिया जाए तो यह राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, प. बंगाल से पूर्वोत्तर आदि राज्यों के लिये पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इसके अलावा इस ट्रेन का विस्तार किये जाने पर पूर्वोत्तर के माँ कामाख्या मन्दिर दर्शन से लेकर राजस्थान के धार्मिक स्थल श्री श्याम दरबार खाटू, सालासर बालाजी धाम, जीण माताजी, शाकम्बरी शक्तिपीठ, लोहार्गल सूर्य मन्दिर, तीर्थराज पुष्करजी, अजमेर दरगाह शरीफ तक आने जाने वाले समस्त यात्रियों एवं भक्तजनों को रेल यातायात का लाभ मिलेगा। इसके अलावा समस्त सैनिकों, व्यापारियों एवं नौकरी पेशा करने वाले लोगो के साथ ही कोचिंग व उच्च शिक्षा अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को भी इस यात्रा से सुविधा प्राप्त होगी।

(x) Need to construct an underpass on NH-52 at Palasner village in Dhule district, Maharashtra

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): Palasner Village in Shirpur Taluka of Dhule district is a tribal dominated area and NH-52 which runs from Mumbai to Agra also passes through this village.Palasner is the main market centre for residents of Shirpur taluka due to the presence of a bus stop and weekly market.NH-52 stretch under Palasner village has witnessed an increase in number of accidents resulting in loss of life and property. As per data, nearly 30 people have died and over 50 were injured due to accidents on this stretch. The core reason for increase in such accidents have been attributed to the absence of an underpass on National Highway due to which people use short cut by attempting to cross the highway which witnesses heavy traffic and speeding vehicles. There have been multiple incidents of accident while crossing the road and therefore there in an urgent need to construct an underpass at Palasner village. I request the Government to kindly construct an underpass on NH-52 stretch falling under Palasner Village in order to provide a safe passage to the people and reduce the number of accidents.

(xi) Regarding alleged deteriorating law and order situation in Jharkhand

श्री जयंत सिन्हा (हज़ारीबाग): मैं सरकार का ध्यान झारखंड राज्य में कानून व्यवस्था की निराशाजनक स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसी महीने, एक स्थानीय गिरोह से जुड़े अपराधियों के साथ झड़प में आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) के डीएसपी और रामगढ़ जिला पुलिस के उप-निरीक्षक को गोली मार दी गई और वे घायल हो गए। जिस राज्य में पुलिस भी असुरक्षित हो, वहां आम जनता की दुर्दशा का अंदाजा लगाया जा सकता है। एनसीआरबी की "क्राइम इन इंडिया' रिपोर्ट 2021 के अनुसार, झारखंड में हत्या की दर देश में सबसे अधिक 4.1%, है। झारखंड पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध अपराध के ताज़ा आंकड़े और भी निराशाजनक तस्वीर पेश करते हैं। जनवरी से मई 2023 के बीच राज्य भर में संज्ञेय अपराध के लगभग 26,500 मामले दर्ज किए गए हैं। यानी, हत्या और अपहरण जैसे गंभीर अपराध के लगभग 175 मामले हर दिन दर्ज किए जाते हैं।ये आंकड़े डराने वाले हैं। लेकिन इससे भी अधिक, वे इस बात के सूचक हैं कि राज्य सरकार, राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में कैसे पूरी तरह विफल रही है। मैं केंद्र सरकार से मामले का संज्ञान लेने और राज्य को सख्त निर्देश जारी करने का आग्रह करता हूं।

(xii) Regarding alleged cases of crime against women, children and dalits in Rajasthan

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर):राजस्थान राज्य में वर्तमान समय में दलितों,महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार एवं अत्याचार की घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हो रही है। महिलाएं, बच्चियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। पुलिस के पास अपनी पीड़ा लेकर जाती है, लेकिन वांछित कार्यवाही नही होती। प्रदेश की सरकार इन सब पर कोई कार्यवाही नहीं कर पा रही है। राजस्थान सरकार उनको रोकने में नाकाम साबित हो रही है। मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि वह इसमें हस्तक्षेप करके कार्यवाही करें।

(xiii) Regarding expeditious construction of Hardoi- Gursahaiganj Railway line project

श्री जय प्रकाश (हरदोई): माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान उत्तर रेलवे मंडल के मुरादाबाद डिवीजन के अंतर्गत हरदोई रेलवे स्टेशन से गुरसहायगंज वाया सांडी तक कुल 59 दशमलव 30 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन परियोजना के क्रियान्वयन में हो रहे विलंब की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह रेल परियोजना वर्ष 2019 में रुपए 1302 करोड़ की अनुमानित लागत से स्वीकृत की गई थी । उत्तर रेलवे द्वारा इसे प्राथमिकता देते हुए अपनी पिंक बुक में दर्ज कराने के साथ-साथ वर्ष 2022 में रेलवे मानचित्र में भी इस लाइन को स्थान मिल चुका है तब से अब तक के प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इस परियोजना के लिए आवंटित वित्तीय राशि के सापेक्ष अलग-अलग मदों में धनराशि जारी की जाती रही है परंतु इस रेल परियोजना पर पिछले 3 सालों में कोई ड्रोन से फाइनल लोकेशन सर्वे एवं सीमांकन किए जाने के अलावा कोई ठोस कार्य नहीं हो पाया है अपितु सर्वे रिपोर्ट भी रेल मंत्रालय में अनुमोदन के लिए पिछले 1 साल से लंबित है। स्थानीय जनता इस रेल परियोजना के क्रियान्वयन में हो रहे अप्रत्याशित विलंब के लिए आंदोलित है। अतः मैं माननीय रेल मंत्री से आग्रह करूंगा कि हरदोई रेलवे स्टेशन से गुरसहायगंज वाया सांडी तक की रेल परियोजना को गति प्रदान करने की कृपा करें ।

(xiv) Need to provide separate building for Passport Seva Kendra and Aadhar Seva Kendra presently operating in Head Post Office Mahesana, Gujarat

श्रीमती शारदा अनिल पटेल (महेसाणा):महेसाणा प्रधान डाकघर में कार्यरत पासपोर्ट सेवा केंद्र और आधार सेवा केंद्र के लिए ग्राहकों की भारी भीड़ रहती है। आधार सेवा केंद्र और पासपोर्ट सेवा केंद्र में प्रतिदिन 120 पासपोर्ट आवेदन आते हैं। ऐसे में पासपोर्ट सेवा और आधार सेवा के लिए आने वाले नागरिकों के लिए बैठने और उनके वाहनों की पार्किंग के लिए जगह वास्तव में बहुत कम है जिससे काफी परेशानियां का सामना करना पड़ता है। जिस परिसर में महेसाणा प्रधान डाकघर कार्यरत है वह एक आवासीय क्षेत्र है। महेसाणा प्रधान डाकघर में पासपोर्ट सेवा केंद्र, आधार सेवा केंद्र, पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ-साथ पोस्ट सेविंग बैंक और डाक सेवा जैसी डाकघर सेवाएं वास्तव में दिन-ब-दिन बढ़ रही हैं। इस प्रधान डाकघर के नजदीक में पोस्टल कॉलोनी भी आई हुई है, जहाँ पर काफी खाली जगह उपलब्ध है। डाकघर के निकट स्थित पोस्टल कॉलोनी में अलग से पासपोर्ट सेवा केंद्र और आधार सेवा केंद्र भवन का निर्माण किया जाए तो हम ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं। अत: मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि कॉलोनी के पास के क्षेत्र में अलग से पासपोर्ट सेवा केंद्र और आधार सेवा केंद्र भवन निर्माण करने के लिए उचित कार्रवाई की जाये।

(xv) Need to start direct Express Train from Radhikapur, West Bengal to New Delhi

SUSHRI DEBASREE CHAUDHURI (RAIGANJ): I would like to draw the kind attention of the Hon'ble Minister of Railways towards the need for starting Direct Express Train service from Radhikapur, West Bengal to New Delhi. Radhikapur, which is in my Raiganj Parliamentary Constituency, at present, is having a link train service, i.e. Seemanchal Express, to New Delhi via Katihar under Katihar Division of North Frontier Railway with LHB coaches. The electrification work of Radhikapur is completed and the people of this area require a direct train connectivity to New Delhi. This is one of the most genuine demand of the people of my Raiganj Parliamentary Constituency which needs the kind and favourable consideration of the Hon'ble Minister of Railways. I urge upon the Hon'ble Minister of Railways to consider the demand favourably on top priority basis and start a New Direct Express from service from Radhikapur, West Bengal to New Delhi for the benefit of the passengers.

(xvi) Regarding setting up of Textile Park under PM Mitra Scheme in Puducherry

SHRI VE. VAITHILINGAM (PUDUCHERRY): In Puducherry, there are three State owned textile Mills in the name of Anglo French Textiles, Bharathi Mill and Swadeshi Mill in the Puducherry Urban-Area with sprawling area. At present these Mills are not functioning and leaving behind hundreds of mill workers jobless. These three mills are existing in the Puducherry-Cuddalore Main Road in the close proximity with total land of more than 100 acres. I request the Central Government to set up Textile Park in the above said land under the P M MITRA Scheme so that the existing buildings and manpower can be utilized.

(xvii) Regarding stoppage of trains at Kallidaikurichi Railway Station in Tamil Nadu

SHRI S. GNANATHIRAVIAM (TIRUNELVELI): More than 30 thousand people live in Kallidaikurichi town in my Tirunelveli constituency. Those who are living in the surrounding areas make use of Kallidaikurichi station for connectivity and commuting to neighbouring districts. Tamil Nadu Police Training Centre, 9th Reserve Police Battalion, Students, Office goers, Traders and others use this Kallidaikurichi station for commuting to different places. Several tourist places like Manimuthaaru falls, Maancholai Estate are also situated here thereby attracting thousands of tourists. Kallidaikurichi railway station is being used by maximum number of rail commuters generating much revenue next to Ambasamudram in the Tirunelveli-Shenkottairail route. In the Madurai Railway division, Kallidaikurichi station stands at No 44 in revenue generation and at No 27 in the usage by maximum number of rail commuters. I urge upon the Hon'ble Minister of Railways that all the trains including Passenger, Express and Superfast trains should have a stoppage at Kallidaikurichi benefitting the people at large.

(xviii) Regarding proposed Mekedatu Reservoir in Karnataka

SHRI S. RAMALINGAM (MAYILADUTHURAI): The proposed reservoir-namely Mekedatu Reservoir is in total violation of the Final order of the Cauvery Water Disputes Tribunal dated 5.2.2007 as well as the Judgment of the Hon'ble Supreme Court of India dated 16.2.2018 and is completely detrimental to the interest of the farmers and the drinking water needs of the common people. The farmers and people of Tamil Nadu have been consistently and persistently opposing the construction of Mekedatu Reservoir in Kamataka across the river Cauvery and in fact, passed unanimous resolutions in the State Assembly disapproving the above reservoir project against all the norms of the Inter State River. Incidentally, the Civil appeal filed by the state of Tamilnadu seeking restraint order on the above said proposal is also pending before the Hon'ble Supreme Court and hence the subject matter of the proposal involving the construction of Mekedatu Reservoir itself is now sub judice. I humbly request the Union Government neither to give approval for the detailed project report nor for the construction of Mekedatu Reservoir as proposed which would be against the interest of both the farmers and the people of the State of Tamilnadu.

(xix) Regarding dilapidated condition of roads in Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर (दादरा और नागर हवेली) : आज मैं मेरे प्रदेश के सबसे अहम मुद्दे पर मैं सरकार ध्यान केन्द्रित करना चाहती हूँ। दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव की सड़कों की स्थिति अति भयावह हो चुकी है। बार बार भारत सरकार को एवं दादरा नगर हवेली के संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित किए जाने के बावजूद परिस्थिति में सुधार होना तो दूर की बात है जो सड़कें बची थी वह भी टूट गई है। जिसके कारण आज प्रदेश में बच्चे, बुजुर्ग एवं समस्त जनता त्राहि त्राहि कर रही है। सड़कें इतनी बदहाल स्थिति में है कि लोग रोज़ अपनी जान को जोखिम में डाल कर आवागमन कर रहे हैं। पिछले 7 वर्षों में प्रदेश की एक भी सड़क अच्छे तरीक़े से बनी नहीं है और अगर कोई बनी भी होगी तो 6 महीने में उसमे बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिलते है। जनता अच्छी सड़कों जैसी मूलभूत सुविधा की हक़दार है। मैं भारत सरकार एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से अनुरोध करती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र की इस गंभीर समस्या का अति शीघ्र संज्ञान लें तथा सम्बंधित विभाग एवं अधिकारीयों को जरुरी दिशानिर्देश जारी कर शीघ्र उचित कार्यवाही करने की कृपा करे।

(xx) Need to provide stoppage of Patna-Ranchi Vande Bharat Express at Jehanabad Railway Station

श्री चन्देश्वर प्रसाद (जहानाबाद):पटना-रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने से पहले बजट सत्र के दौरान मंत्री महोदय ने वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज जहानाबाद में करने का आश्वासन मुझे दिया था। ट्रायल रन के दौरान भी यह ट्रेन जहानाबाद स्टेशन पर रुका परन्तु अचानक समय सारणी बनने के बाद देखा गया कि जहानाबाद में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव नहीं है। मैं जहानाबाद से आकर ट्रेन चलने से पहले मंत्री महोदय से मिला और जहानाबाद स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव करने का आग्रह किया। मंत्री महोदय ने मुझे पुनः आश्वासन दिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव जहानाबाद स्टेशन पर करने की व्यवस्था करें और अगर किसी वजह से या तकनीकी कारण से यह संभव नहीं है तो 1 महीने के अंदर हर हाल में ठहराव सुनिश्चित किया जाए। परंतु डेढ़ महीना बीतने के बाद भी वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज जहानाबाद में नहीं हुआ है। मैं रेल मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि लगभग 100 किलोमीटर रेडियस में रहने वाले लाखों लोग जहानाबाद स्टेशन का उपयोग करते हैं। ट्रेन का स्टॉपेज नहीं होने से लोगों में काफी आक्रोश है क्योंकि बिहार में पटना के बाद सिर्फ गया में जो 100 किलोमीटर दूर है, स्टॉपेज है बाक़ी स्टॉपेज झारखंड में है। पटना और गया के बीच में जहानाबाद में स्टॉपेज दे देने से यात्रियों को काफी सुविधा मिल जाएगी। मेरा रेल मंत्री महोदय से फिर आग्रह है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव जहानाबाद स्टेशन पर करने का निर्देश जारी करें।

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 18, अंतर-सेना संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023, माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

12.14 hrs

INTER-SERVICES ORGANISATIONS (COMMAND, CONTROL AND DISCIPLINE) BILL, 2023

रक्षा मंत्री (श्री राज नाथ सिंह): सभापति महोदय, हमारे ठीक सामने यहां पर शोर-शराबा हो रहा है। यदि आपकी इजाजत हो तो क्या मैं पीछे जाकर अपनी बात रख सकता हूं? … (व्यवधान)

सभापति महोदय, ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा यहां विचार व्यक्त करना संभव नहीं है। मैं आपकी इजाजत चाहता हूं। … (व्यवधान) ऐसी स्थिति में मैं यहां से नहीं बोल सकता, इसलिए मैं आपकी परमिशन चाहता हूं, ताकि मैं पीछे जाकर अपने विचार रख सकूं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति: जी हां।

श्री राज नाथ सिंह: धन्यवाद सभापति महोदय।… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आपको निर्णय नहीं करना है। आप शांत हो जाइए। आप अपने स्थान पर जाकर बैठिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: यह अच्छी स्थिति नहीं है कि हंगामे के कारण माननीय मंत्री जी को किसी अन्य सीट से अपनी बात कहनी पड़ रही है। यह अच्छी बात नहीं है। आप सभी अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए। आप सब शांत रहिए। माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

श्री राज नाथ सिंह: माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं:

> “कि सेना कार्मिक, जिनको वायु सेना अधिनियम, 1950, सेना अधिनियम, 1950 और नौसेना अधिनियम, 1957 लागू होता है, जो अनुशासन बनाए रखने और अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अपनी कमान के अधीन सेवा कर रहे हैं या उससे संलग्न हैं, के संबंध में अंतर-सेना संगठनों के चीफ कमांडर या कमांड आफिसर को सशक्त करने के लिए और उससे संलग्न या आनुषंगिक विषयों का उपबंध वाले विधयेक पर विचार किया जाए।”

सभापति महोदय, मैं इसी के साथ अपने कुछ विचार भी इस संबंध में व्यक्त करना चाहता हूं। … (व्यवधान) हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार लगातार नये-नये रिफॉर्म्र्स के माध्यम से राष्ट्र को सशक्त बनाने की कोशिश कर रही है। … (व्यवधान) सारा देश जानता है कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने लगभग हर क्षेत्र में नई-नई पहलें की हैं। पुराने अनेक कानूनों को जहां हमने समाप्त किया है, वहीं पर जहां जरूरत पड़ी है, पुराने जो नियम और कानून रहे हैं, उन नियम और कानूनों में हमने संशोधन भी किया है। … (व्यवधान) लोक सभा में पेश किया यह, The Inter-Services Organisations (Command, Control and Discipline) Bill, 2023 भी उसी कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है।

सभापति महोदय, यह बिल दो महत्वपूर्ण मकसदों को एक साथ पूरा करता है। … (व्यवधान) यह हमारी ऑम्र्ड फोर्सेज के तीनों अंगों के बीच इंटीग्रेशन तथा ज्वाइंटनेस की दिशा में बढ़ाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। … (व्यवधान)

जिससे वे भविष्य की चुनौतियों का एकजुट और एकीकृत तरीके से मुकाबला कर सकें। यह एक ऐसा वातावरण बनाने में निश्चित रूप से हमारी मदद करेगा, जो हमारे इंटर-सर्विसेज़ ऑर्गेनाइजेशंस में अनुशासन को मज़बूत करेगा। मैं इन दोनों महत्वपूर्ण पहलुओं पर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। …(व्यवधान)

सभापति महोदय, यह सर्वविदित है कि अनुशासन ही सेना की आत्मा होती है। यह उनके चरित्र और संकल्प को भी मज़बूत करता है। यह आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के साथ-साथ एक यूनिट या स्टैब्लिशमेंट के सैनिकों को एकजुट करने में भी मदद करता है। इसलिए कभी किसी भी परिस्थिति में अनुशासनहीनता का कोई भी मामला सामने आता है, तो उसके बारे में निर्णय जल्द से जल्द आवश्यक हो जाता है। अंतर-सेना संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023 किसी इंटर सर्विसेज़ ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए त्वरित कार्रवाई किए जाने का एक प्रावधान करता है।…(व्यवधान)

सभापति महोदय, वर्तमान में भारतीय सेना, नौसेना और हमारी वायु सेना के पर्सनेल अपने रेस्पेक्टिव एक्ट अर्थात् आर्मी एक्ट, 1950, नेवी एक्ट, 1957 तथा एयरफोर्स एक्ट, 1950 और उसके तहत बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार गवर्न्ड होते हैं।…(व्यवधान) जिस समय ये कानून बने थे, उस समय अधिकांश सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस में पर्सनेल्स सेना के एक ही अंग होते थे। तद्नुसार इन एक्ट्स में निहित प्रोविजंस को एक स्पेसिफिक सर्विस के यूनिक वर्किंग एन्वॉयरमेंट को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। परिणामस्वरूप इन एक्ट्स के तहत कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड अपनी डिसिप्लिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का प्रयोग अपनी ही सर्विस के पर्सनेल्स पर कर सकते हैं। उन्हें दूसरी सर्विसेज़ से संबंधित पर्सनेल्स, जो उनके संगठन में कार्य कर रहे हैं, पर डिसिप्लिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है।…(व्यवधान)

सभापति महोदय, इन प्रोविजंस के कारण एक विशेष स्थिति तब उत्पन्न होती है, जब विभिन्न सर्विसेज़ के पर्सनेल किसी इंसीडेन्ट में इन्वॉल्व होते हैं और उन पर डिसिप्लिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के लिए इंटर-सर्विसेज़ ऑर्गेनाइजेशंस में कार्यरत पर्सनेल को उनके पैरेन्ट्स सर्विस यूनिट्स में वापस भेजने की आवश्यकता पड़ जाती है। इसमें न केवल अधिक समय लगता है, बल्कि पर्सनेल की आवाजाही के कारण धन भी व्यय होता है और उनको न्याय मिलने में भी स्वाभाविक रूप से देर होती है।…(व्यवधान)

सभापति महोदय, इसके अलावा एक ही ऑफेंस के लिए अलग-अलग जगहों की एड्जूडिकेटिंग अथॉरिटीज़ के अलग-अलग निर्णय के कारण स्वाभाविक रूप से विसंगतियां भी पैदा होती हैं। इसलिए सभी इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के प्रमुखों के लिए, उनके ऑर्गेनाइजेशंस में डिसिप्लिन को बनाए रखने और उनके कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए एक इनेबलिंग एक्ट बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है। तद्नुसार आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से इनपुट्स लेकर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के परामर्श से अंतर-सेना संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023 को ड्रॉफ्ट करने के लिए हम लोगों ने एक कमेटी गठित की थी।…(व्यवधान)

संयुक्त रूप से या एकजुट होकर कार्य करने के लिए इंटीग्रेशन की आवश्यकता स्वाभाविक रूप से पड़ती ही पड़ती है और ज्वाइंटनेस को प्रमोट करने के लिए जो भावना होनी चाहिए, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वह भावना इस बिल में निहित है। यह इंटर-सर्विसेज़ ऑर्गेनाइजेशंस के प्रमुखों को बेहतर डिसिप्लिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, जो मिलनी चाहिए, वह यह प्रदान करता है, जिससे वे अपने ऑर्गेनाइजेशंस में प्रभावी कमांड, कंट्रोल व डिसिप्लिन बना सकेंगे और हमारे सुरक्षा ढांचे को और भी अधिक मजबूत कर सकेंगे।…(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सैन्य सुधारों की दिशा में यह बिल एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और इस बिल से कोई अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, इस सदन को मैं यह भी सूचित करना चाहता हूं।…(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस अंतर-सेना संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023 पर विचार करने का प्रस्ताव करता हूं।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि सेना कार्मिक, जिनको वायु सेना अधिनियम, 1950, सेना अधिनियम, 1950 और नौसेना अधिनियम, 1957 लागू होता है, जो अनुशासन बनाए रखने और अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अपनी कमान के अधीन सेवा कर रहे हैं या उससे

संलग्न हैं, के संबंध में अंतर-सेना संगठनों के चीफ कमांडर या कमांड आफिसर को सशक्त करने के लिए और उससे संलग्न या आनुषंगिक विषयों का उपबंध वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। देश की सुरक्षा और सुरक्षा बलों से संबंधित बिल है। आपको इस बिल में भाग लेना चाहिए। आपको चर्चा में भाग लेना चाहिए। आप इतने तटस्थ नहीं रह सकते हैं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्लीज आप सब बैठिए। आप बात को सुनिए और अपनी बात कहिए। आप बिल के विचार-विमर्श में भाग लीजिए, जैसा आपने कल किया था।

… (व्यवधान)

कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन राठौर (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। वैसे यह बहुत ही सरल बिल है और इसकी जरूरत है। मैं सरलता में आपको बताऊं, जैसे इस सदन को चलाने की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन आप में अनुशासन की ताकत न हो और इन पार्टियों के मुख्यालय में हो तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किल होगी। … (व्यवधान) उसी तरह से इंटर सर्विसेज़ ऑर्गेनाइजेशन की आज जरूरत पड़ गई। 21 वीं सदी के युद्ध की स्थिति को देखते हुए कि अलग-अलग फोर्सेज़ एक साथ मिलकर काम करें, इसी कारण यह इंटर-सर्विसेज़ बिल लाया गया है। … (व्यवधान)

महोदय, अभी परिस्थिति यह है कि जैसे, अण्डमान और निकोबार कमांड को बनाया गया और उसका जॉइंट कमांड नाम दिया गया, लेकिन जब वहां आकर एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सैनिक काम करते हैं और उनके लिए अनुशासन या एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था करनी होती है तो उसके लिए वापस उनको उन्हीं की सर्विस में भेजना पड़ता है।… (व्यवधान) उससे फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस भी होते हैं, समय भी जाया होता है और अनुशासनहीनता रहती है। तेज गति से काम

करना, हाई प्रेशर एन्वायरनमेंट में काम करना, एक सटीक तरीके से ऑपरेशंस करना, यह भारतीय सेना की जिम्मेदारी रहती है। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आज के हालात में यह बहुत जरूरी है कि यह एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स उस कमांडिंग ऑफिसर या कमांडर इन चीफ के पास हों, जिससे तीनों सर्विसेज़ या कोई अन्य फोर्स के जो अधिकारी हैं, उनको अनुशासन के अंदर लाया जा सके और उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था कर सके। … (व्यवधान)

महोदय, एक भारतीय सैनिक और एक नागरिक होने के नाते इस बात की बधाई देता हूं कि मोदी सरकार ने हमेशा भारतीय सेना की जरूरतों को अहमियत दी है, भारत की सुरक्षा को अहमियत दी है, चाहे वह बॉर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर हो, जो तेज गति से बढ़ रहा है और तैयार हो रहा है, चाहे दशकों से जो 'वन रैंक, वन पेंशन' की डिमाण्ड चल रही थी, वह हो। … (व्यवधान) जो अभी नारे लगा रहे हैं, उन्होंने उसके लिए केवल 500 करोड़ रुपये रख दिए थे, लेकिन आज 65 हजार करोड़ रुपये उसके लिए खर्च हुए हैं तो यह भारत की सुरक्षा को लेकर और भारतीय सेना की तरफ एक संवेदनशीलता है। … (व्यवधान) आज स्पेस एजेंसीज़ हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी है, नेशनल डिफेंस कॉलेज है, अण्डमान और निकोबार कमांड है, वैसे ही और भी कमांड्स आ सकती हैं, जिनके अंदर इंटर-सर्विसेज़ जॉइंटमेनशिप की जरूरत होगी। … (व्यवधान)

महोदय, इस बिल के अंदर जो आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट के तीन एक्ट्स हैं, उनके अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन उनको ध्यान में रखते हुए तीनों के अंदर जिस तरह से उनके ऊपर अनुशासन की कार्रवाई हो सकती है, वह अब एक कमांडिंग ऑफिसर या कमांडर इन चीफ इस पर एक्शन ले सकता है। … (व्यवधान) मैं किसी एक उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि अगर कहीं पर अनुशासनहीनता होती है तो उस एक इनडिसिप्लिन के मामले में तीन अलग-अलग जगहों पर प्रोसिडिंग्स होंगी, तीन अलग-अलग एक्ट्स के ऊपर प्रोसिडिंग्स होंगी। जब तीन अलग-अलग जगहों पर प्रोसिडिंग्स होंगी तो हो सकता है कि उसका परिणाम भी तीन अलग-अलग तरह से निकले। … (व्यवधान) यह कितना गलत हो सकता है। इसी कारण से यह बिल लाया गया है। इस बिल के अंदर एक खास बात यह रखी गई है कि अगर युद्ध की स्थिति हो

या ऐसी कोई इमरजेंसी हो तो उसके अंदर किसी भी फोर्स को चाहे वह आईटीबीपी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, उसको भी इस इंटर-सर्विसेज़ ऑर्गेनाइजेशन बिल के अंदर शामिल किया जा सकता है, ताकि कमांडर इन चीफ जो भी होगा, वह एक्शन ले सकता है। … (व्यवधान)

मैं इस सदन के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को बधाई देता हूं। जो हमारी तीनों सशक्त सेनाएं हैं, उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूं। एक सही समय पर, सही बिल एक्ट में तब्दील हो, इसके लिए उनको शुभकामनाएं। … (व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर) : सभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और खास तौर से बहन कुमारी मायावती जी को, जिन्होंने मुझे यहां पर पहुंचने का अवसर दिया है।… (व्यवधान) मान्यवर, यह बिल अत्यंत ही जरूरी बिल था। आर्म्ड फोर्सेस, सेंट्रल कमांड को एक मजबूती देने के लिए और जो इसमें चीफ ऑफ स्टाफ्स रहेंगे, उनके लिए यह अत्यंत ही जरूरी बिल है।… (व्यवधान)

इसकी एक खासियत यह है कि पहले जो तीन एक्ट्स गवर्न करते थे, उनको एक साथ मिलाकर यह प्रस्ताव किया गया है कि अगर कोई भी पीनल एक्शन लेना हो तो वह सीधे-सीधे इसके चीफ ले सकते हैं।…(व्यवधान) इसमें एक खामी मुझे अभी भी नजर आ रही है कि जो ये तीनों एक्ट्स हैं, इनके तहत अभी अलग-अलग सजाएं दी जाएंगी। उदाहरण के लिए, यदि नेवी के किसी पर्सन को किसी क्राइम के लिए दो महीने की सजा होती है तो आर्मी के एक पर्सन को इसके लिए 15 दिन की सजा दी जा सकती है, इसलिए सजा देने के प्रावधानों को भी अमलगमेट करना अत्यंत जरूरी है। …(व्यवधान) वह एक खामी के रूप में सामने आती है। …(व्यवधान)

सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।…(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

श्री राज नाथ सिंह: सभापति महोदय, सबसे पहले मैं हमारे देश के समस्त बहादुर सैनिकों, जिन्होंने देश की अखण्डता और सम्प्रभुता को अक्षुण्ण रखने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, को नमन करता हूं। …(व्यवधान) इंटर-सर्वसेज ऑर्गनाइजेशन बिल, 2023 के बारे में जो बातें मैंने पहले रखी हैं, उन बातों को यहां पर दोहराना नहीं चाहता हूं। …(व्यवधान) मै इतना ही कहना चाहूंगा कि यह बिल मौजूदा सेवा अधिनियमों में किसी भी बदलाव का प्रस्ताव नहीं करता है।…(व्यवधान) यह बिल केन्द्र सरकार को अंतर-सेवा संगठनों के गठन की घोषणा करने की भी शक्त प्रदान करना प्रस्तावित करता है। …(व्यवधान)

यहां मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहूंगा कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस (2022-2023) ने इस बिल को बिना किसी अमेंडमेंट के पारित किए जाने की रिकमेंडेशन की है। …(व्यवधान) इसलिए मुझे प्रसन्नता है कि किसी ने किसी प्रकार के संशोधन का प्रस्ताव नहीं किया है। …(व्यवधान) इसलिए मैं पूरे सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित करने की कृपा करें।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि सेना कार्मिक, जिनको वायु सेना अधिनियम, 1950, सेना अधिनियम, 1950 और नौसेना अधिनियम, 1957 लागू होता है, जो अनुशासन बनाए रखने और अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अपनी कमान के अधीन सेवा कर रहे हैं या उससे संलग्न हैं, के संबंध में अंतर-सेना संगठनों के चीफ कमांडर या कमांड आफिसर को सशक्त करने के लिए और उससे संलग्न या आनुषंगिक विषयों का उपबंध वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, प्रो. सौगत राय और डॉ. आलोक कुमार सुमन जी ने इस विधेयक पर अपने-अपने संशोधन दिए हैं। अगर वे अपने संशोधनों को प्रस्तुत नहीं करना चाहते तो मैं सभी खंडों को सभा के निर्णय के लिए एक साथ सभा के समक्ष रख रहा हूं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 15 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 15 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री राज नाथ सिंह: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 19, माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्लीज, आप लोग सदन की कार्यवाही चलने दीजिए और अपने-अपने स्थानों पर वापस जाइए।

माननीय मंत्री जी।

12.29 hrs

INDIAN INSTITUTES OF MANAGEMENT (AMENDMENT) BILL, 2023

शिक्षा मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं :

> "कि भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम ,2017 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, क्या आप विधेयक के बारे में कुछ कहना चाहते हैं?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: सभापति जी, भारत में वर्ष 1961 में सबसे पहले एक सरकारी आदेश से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की कल्पना की गई। वर्ष 1961 से 1995 तक पहले कोलकाता, बाद में अहमदाबाद, फिर बेंगलुरू, लखनऊ, इन्दौर और कोझीकोड में छः आईआईएम का गठन किया गया।

बाद में, वर्ष 2007 से वर्ष 2012 में और 7 इंस्टीटयूट्स का गठन किया गया, जिसमें शिलांग, राँची, रोहतक, रायपुर, काशीपुर, तिरुचिरापल्ली और उदयपुर शामिल थे। उसके बाद वर्ष 2015-16 के वित्तीय वर्ष में प्रधान मंत्री मोदी जी की कल्पना के आधार पर अमृतसर, बोधगया, जम्मू, नागपुर, संबलपुर, सिरमौर और विशाखापत्तनम में कुल 7 नए आईआईएम्स का गठन किया गया। इस विधेयक के अन्दर मुम्बई में 60 के दशक से चली आ रही नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग नीति, जिसकी सन् 1963 से नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग में मान्यता है, जिसकी टेक्नो-मैनेजेरियल कोर्सेस चलाने में विशेषज्ञता है, ऐसे इंस्टीटयूट को बिना वित्तीय बोझ के साथ आईआईएम का दर्जा दिया जाए, इस प्रकार की अनुशंसा, इस प्रकार का प्रस्ताव इस बिल में है।

सभापति महोदय, इसमें संशोधन की इसलिए आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि वर्ष 2017 के बाद वर्ष 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश में लागू की गई। इसके तहत सारे शिक्षण संस्थानों के

मैनेजमेंट का चरित्र, गवर्नेंस का चरित्र तथा एकेडमिक आटोनॉमी को बरकरार रखते हुए अकाउंटेबिलिटी के लिए गवर्नेंस यूनिफॉर्मिटी आएगी।

सभापति महोदय, हम अनुभव के आधार पर कुछ सुधारों को लेकर सदन में आए हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि इस बिल को यह सदन सर्वसम्मति से पारित करे।

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम ,2017 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सभापति महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने माननीय मंत्री जी के द्वारा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक दी इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल, 2023 के संशोधन विधेयक, जो उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उस पर मुझे बोलने का अवसर दिया है।

मैं इस विधेयक के समर्थन में यह बोलना चाहता हूँ कि अभी जब माननीय मंत्री जी द्वारा यह विधेयक प्रस्तुत किया गया तो उन भावनाओं को देखते हुए प्रस्तुत किया गया कि यह देश के युवाओं के लिए तथा देश की ग्रोथ के लिए एक सक्सेस स्टोरी होगी। आज आईआईएम, आईआईटी भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

माननीय मंत्री जी ने वर्ष 2023 के संशोधन के संबंध में विचार रखा है। मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि जब इस सदन में वर्ष 2017 का संशोधन विधेयक लेकर आए थे, उस समय पहली बार इन आईआईएम्स को नेशनल इंपोर्टेंस का दर्जा दिया गया था और नेशनल इंपोर्टेंस का दर्जा देने के बाद कम से कम इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ मैनेजमेंट में विद्यार्थी कम से कम मैनेजमेंट की पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई करते थे तथा तब तक वे इंस्टीटयूट्स केवल डिप्लोमा देते थे। पहली बार हमारी सरकार ने आईआईएम को नेशनल इंपोर्टेंस का दर्जा दिया और इन संस्थानों ने फिर डिग्री देना शुरू किया और उस डिग्री की ख्याति आज न केवल भारत में है, बल्कि पूरी दुनिया के देशों में है।

यहां तक कि अगर हम सिलिकॉन वैली में जाएं या चाहे अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन हो, सब जगह इसकी ख्याति है।

आज मंत्री जी वर्ष 2023 का संशोधन विधेयक लेकर आए हैं, उसी श्रृंखला में माननीय मंत्री जी आगे बढ़ें। अभी तक नेशनल इंपोर्टेंस का दर्जा था, लेकिन जिस तरह की आईआईएम की पढ़ाई है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, उसके हिसाब से आज दुनिया के ग्लोबल एक्सीलेंस में वैश्विक उत्कृष्टता को प्राप्त करने के लिए मुझे लगता है कि यह संशोधन विधेयक मील का पत्थर साबित होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी दुनिया में अगर हायर एजुकेशन की बात होती है तो युनाइटेड स्टेट्स के आइवी लीग की बात होती है, उसमें रिसर्च और सारी चीजें होती हैं। लेकिन आज हम इस संशोधन के बाद कह सकते हैं और माननीय मंत्री जी ने जिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का उल्लेख किया है कि आज हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पिलर्स क्या हैं?

हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पिलर्स में से एक enhancement of capacity है। आज बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। ये देश के युवाओं की चिंता कर रहे हैं। देश के युवाओं के एक्सीलेंस, देश के युवाओं की प्रतिभा, देश के युवाओं की कुशाग्रता एवं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे एन्हांस कर सकते हैं? …(व्यवधान) इस बिल में enhancement of capacity building समाहित है।…(व्यवधान) इसी तरह से हमारी एजुकेशन पॉलिसी के पांच पिलर्स हैं। उनमें दूसरी ऐक्सेसिबिलिटी, तीसरी क्वालिटी, चौथी फेयरनेस और पांचवीं एकाउंटिबिलिटी है।…(व्यवधान) आज हम इन संस्थाओं को एकाउंटेबल बना सकें।…(व्यवधान) क्योंकि इन संस्थानों को तीन सालों में रिपोर्ट देनी होती थी।…(व्यवधान) एक बेंगलुरु को छोड़ करके किसी ने रिपोर्ट नहीं दी। …(व्यवधान) आज इन सभी में एकरूपता आ जाए, यूनिफॉर्मिटी आ जाए, इसके लिए हम यह संशोधन लेकर आए हैं।…(व्यवधान)

जैसे महामहिम राष्ट्रपति सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में विजिटर्स नियुक्त होते हैं, डेजिगनेट होते हैं। …(व्यवधान) ऐसे ही वे विजिटर्स होंगे और वे एकाउंटेबल होंगे ।…(व्यवधान) सारी संस्थान की स्थितियां यह बनेगी । …(व्यवधान) उसमें जो प्रेजिडेंट होंगे, तो चाहे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हों, उसके

चेयरपर्सन को नॉमिनेट करना हो या उन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में जिस तरह से काम करने की बात हो। ...(व्यवधान) इसलिए मैं यह बात कहना चाहता हूं कि आज हमारी जो एजुकेशन है, उसमें हमने रिकॉर्ड बजट बढ़ाया है।...(व्यवधान) हायर एजुकेशन में एक लाख, 12 हजार करोड़ रुपए, आज तक कभी हायर एजुकेशन का इतना बड़ा बजट नहीं था।...(व्यवधान) मुझे लगता है कि जहां नेशनल इम्पॉर्टेंस के 75 संस्थान थे, इस बजट से आज वे संस्थान 135 हो गए हैं। मुझे लगता है कि यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है।...(व्यवधान)

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Thank you, Sir, for allowing me to speak on this Bill. *...(Interruptions)* I would welcome this Bill, and also appreciate the hon. Minister for including the National Institute of Industrial Engineering (NITIE), Mumbai under the ambit of IIM, Mumbai. *...(Interruptions)* But the problem with this Bill is with regard to what the Ministry has been saying for the last three years and what they have brought in. *...(Interruptions)*

The first thing is with regard to the National Education Policy (NEP). The National Education Policy was launched by the Ministry about three years back where it had a vision that it will give more autonomy and freedom to the institutes to launch new courses. But this Bill is actually going in the opposite direction after inclusion of Visitor’s clause in Section 10 (2) and in Section 16 (c) of the Bill. *...(Interruptions)* This actually removes the autonomy of these institutes. *...(Interruptions)* These are the powers which these institutes have been using for the last 40 years, and they have produced amazing CEOs who are providing their services across the country. *...(Interruptions)*

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : सभापति महोदय, दोनों आदरणीय सदस्यों ने अच्छे सुझाव दिए हैं, मैं दोनों का आभार प्रकट करता हूं। विशेष कर आंध्र प्रदेश के हमारे माननीय सदस्य मित्र ने एक शंका जताई है।... (व्यवधान) विजिटर्स यानी यहां सभापति जी कौन होते हैं।... (व्यवधान) विजिटर्स, देश के परम आदरणीय राष्ट्रपति जी होते हैं।... (व्यवधान) जगदम्बिका जी अपने बयान में एक्सप्लेन कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि मोदी जी की सरकार इस देश में पहली बार, जो एक इनफॉर्मल कोर्स चलता था, डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाता था, उसको पार्लियामेंट में एकट में परिवर्तित करके 2017 में उसको National Institute of importance का दर्जा दिया। है। उसको एक प्रॉपर अंडर ग्रेजुएट डिग्री एवं मास्टर डिग्री देने और पीएचडी करने की व्यवस्था की।

मैं आंध्र प्रदेश के माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि आईआईटी के विजिटर्स कौन हैं, उसका प्रमुख कौन हैं। विजिटर्स के नाम पर आदरणीय राष्ट्रपति जी हैं। आईजर के कौन प्रमुख है, एनआईटी के कौन प्रमुख हैं, सभी में भारत के राष्ट्रपति जी प्रमुख हैं। पिछले तीन-चार सालों में अनुभव हुआ है, कई प्रकार की विसंगति ध्यान में आई हैं, जो लोकल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बना, उन्होंने भारत के कई सारे constitutional obligation, जैसे शिक्षकों की नियुक्ति में रिजर्वेशन देना, भारत सरकार की जीएफआर के प्रति एकाउंटिबिलिटी, एकाउंटेबल रहना।

भारत की सर्विस, कंडक्ट रूल्स का पालन करना, ये सब नहीं हुए। इसके कारण आज आईआईटी की एकेडमिक ऑटोनॉमी के बारे में क्या कोई प्रश्न उठाता है?... (व्यवधान) एनआईटी की एकेडमिक ऑटोनॉमी के बारे में क्या कोई प्रश्न उठाता है? ... (व्यवधान) आने वाले दिनों में भी आईआईएम की एकेडमिक ऑटोनॉमी में हस्तक्षेप करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है।... (व्यवधान) हम सदन में यह वचन देते हैं, लेकिन इसमें लगभग 6 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा का निवेश हुआ है।... (व्यवधान) यह संस्था भारत सरकार की संस्था है और राज्य सरकारों की संपत्ति लगी है। यह निजी संपत्ति में परिवर्तित नहीं हो सकता है इसलिए मैनेजमेंट एकाउंटबिलिटी के लिए यह व्यवस्था लाई गई है।... (व्यवधान) एकेडमिक ऑटोनॉमी बरकरार रहेगी। मैं पुन: सभी से निवेदन करता हूं कि इस बिल को सर्वसम्मति से पारित करें।... (व्यवधान)

माननीय सभापति:प्रश्न यह है:

"कि भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, प्रो. सौगत राय जी, श्री रितेश पाण्डेय जी और डॉ. आलोक कुमार सुमन जी ने इस विधेयक पर अपने-अपने संशोधन दिए हुए हैं। अगर वे अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं करना चाहते तो मैं सभी खंडों को सभा के निर्णय के लिए प्रस्तुत करता हूं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 12 विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 2 से 12 विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

<u>खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

… (व्यवधान)

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही बारह बजकर पचास मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

12.43 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fifty Minutes past Twelve of the Clock.

12.50 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Fifty Minutes past Twelve of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आज 03:30 pm से 6:00 pm तक जो प्राइवेट मेम्बर्स बिज़नेस लगा हुआ है, यदि सभा की सहमति हो**,** चूंकि यह इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, तो इसे पहले ले लिया जाए।

माननीय सभापति : ठीक है। यह काफी समय से पेंडिंग भी है। पिछले सत्र में भी वह कुछ कारणों से नहीं हो पाया था। मैं उन कारणों की चर्चा नहीं करूँगा।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (**KOLLAM**)**:** Thanks to the hon. Speaker and Parliamentary Affairs Minister. These Bills are pending for last one year.

माननीय सभापति : जब प्राइवेट मेम्बर्स बिज़नेस होता है, तो उसमें किसी प्रकार के हंगामे की संभावना नहीं है।

12.51 hrs

PRIVATE MEMBERS' BILL – Introduced

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 202, डॉ. शशि थरूर जी।

12.51½ hrs

(i) High Court of Kerala (Establishment of a Permanent Bench at Thiruvananthapuram) Bill, 2023*

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of a Permanent Bench of the High Court of Kerala at Thiruvananthapuram.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि तिरुवनन्तपुरम में केरल उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. SHASHI THAROOR: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 223, डॉ. शशि थरूर जी।

12.52 hrs

(ii) Healthcare Personnel and Healthcare Institutions (Prohibition of Violence and Damage to Property) Bill, 2023*

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to prohibit violence against healthcare personnel and damage or loss to property of healthcare Institutions and for matters connected therewith and incidental thereto.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि स्वास्थ्य देखरेख कार्मिकों के विरुद्ध हिंसा पर प्रतिषेध और स्वास्थ्य देखरेख संस्थानों की संपत्ति की क्षति या हानि पर रोक लगाने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

DR. SHASHI THAROOR: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 93, श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी।

12.52½ hrs

(iii) Journalist (Prevention of Violence and Damage or Loss to the Property) Bill, 2022*

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for prevention of violence against journalist and protection of journalist, their institutions, properties and for maters connected therewith or incidental thereto.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि पत्रकारों के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम तथा पत्रकारों, उनकी संस्थाओं, संपत्तियों की सुरक्षा तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 95, श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी।

12.53 hrs

(iv) Advocates (Protection) Bill, 2022*

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for prevention of violence against Advocates and protection of Advocates, their institutions, properties and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि अधिवक्ताओं के विरूद्ध हिंसा का निवारण करने और अधिवक्ताओं, उनकी संस्थाओं, संपत्तियों की सुरक्षा करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 96, श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी।

12.53½ hrs

(v) Constitution (Amendment) Bill, 2022*
(Amendment of Article 201)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नम्बर, 90, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले।

12.54 hrs

(vi) Census (Amendment) Bill, 2022*
(Substitution of new section for section 3)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Census Act, 1948.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि जनगणना अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नम्बर, 91, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले।

12.54½ hrs

(vii)Prohibition of employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation (Amendment) Bill, 2022*

(Amendment of section 2, etc.)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नम्बर, 92, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले।

12.55 hrs

(viii) Representation of the People (Amendment) Bill, 2022*
(Amendment of section 23)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नम्बर, 119, श्री हैबी ईडन ।

12.55½hrs

(ix) Right of Women to Menstrual Leave and Free Access to Menstrual Health Products Bill, 2022*

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide the right to paid leave during the period of menstruation for working women, menstrual leave for female students and free access to menstrual health products including menstrual cups, tampons and sanitary pads irrespective of status or region and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि स्थिति अथवा क्षेत्र के अनपेक्ष काम-काजी महिलाओं के लिए ऋतुस्त्राव की अवधि के दौरान सवैतनिक अवकाश का अधिकार, महिला विद्यार्थियों हेतु ऋतुस्त्राव अवकाश तथा ऋतुस्त्राव कप, टैम्पोन और सैनिटरी पैड सहित ऋतुस्त्राव स्वास्थ्य उत्पादों तक निशुल्क पहुंच प्रदान करने तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SHRI HIBI EDEN: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नम्बर, 216, श्री हैबी ईडन ।

12.56 hrs

(x) Pokkali Farming (Protection, Enrichment and Welfare) Bill, 2023*

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the protection, enrichment and welfare of Pokkali farmers and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि पोक्कली किसानों की सुरक्षा, संवर्धन और कल्याण तथा उससे जुड़े या और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SHRI HIBI EDEN: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नम्बर, 217, श्री हैबी ईडन।

12.56½ hrs

(xi) Healthcare Professionals (Protection from Violence and Harassment) Bill, 2023*

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the protection of healthcare professionals from violence, harassment and acts of aggression in the course of their duty and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि स्वास्थ्य परिचर्या वृत्तिकों को उनके कर्त्तव्य पालन के दौरान हिंसा, उत्पीड़न और उग्रता के कृत्यों से सुरक्षा प्रदान करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। "

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

SHRI HIBI EDEN: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नम्बर, 99, श्री गौरव गोगोई।

12.57 hrs

(xii) Companies (Amendment) Bill, 2022*

(Amendment of section 2, etc.)

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Companies Act, 2013.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि कंपनी अधिनियम, 2013 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI GAURAV GOGOI: Sir, I introduce** the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

** Introduced with the recommendation of the President.

माननीय सभापति : आइटम नम्बर, 100, श्री गौरव गोगोई ।

12.57½ hrs

(xiii)Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (Amendment) Bill, 2022*

(Amendment of section 2, etc.)

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Area Act, 2021.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंध आयोग अधिनियम, 2021 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI GAURAV GOGOI: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नम्बर, 101, श्री गौरव गोगोई।

<u>12.58 hrs</u>

(xiv) Energy Conservation (Amendment) Bill, 2022*
(Amendment of section 2, etc.)

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Energy Conservation Act, 2001.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

SHRI GAURAV GOGOI: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नम्बर, 184, श्री कार्ती पी. चिदम्बरम।

<u>12.58½ hrs</u>

(xv) Representation of the People (Amendment) Bill, 2023*
(Amendment of section 20A)

SHRI KARTI P. CHIDAMBARAM (SIVAGANGA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

SHRI KARTI P. CHIDAMBARAM: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नम्बर, 113, श्री राजू बिष्ट।

12.59 hrs

(xvi)Central Universities (Amendment) Bill, 2022*

(Insertion of new section 3G, etc.)

SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Central University Act, 2009.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI RAJU BISTA: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 82, एडवोकेट ए.एम. आरिफ जी।

13.00 hrs

(xvii) Agricultural Produce Price Fixation Board Bill, 2022*

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of an Agricultural Produce Price Fixation Board to fix the remunerative support price of agricultural produce including fruits and vegetables on annual and seasonal basis and for timely intervention by the Government at the time of steep fall in prices of such produce in the open market and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि फलों और सब्जियों सहित कृषि उपज का वार्षिक और मौसमी आधार पर लाभकारी समर्थन मूल्य नियत करने हेतु एक कृषि उपज मूल्य नियतन बोर्ड की स्थापना करने और खुले बाजार में इन उपजों के मूल्यों में भारी कमी होने पर सरकार द्वारा समय पर मध्यक्षेप करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

ADV. A.M. ARIFF: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 44, श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू जी।

13.01 hrs

(xviii)Terminated Employees (Temporary Benefits) Bill, 2022*

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide temporary benefits to the terminated employees including payment of unemployment allowance, medical expenses for a certain period after termination of service and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को सेवा समाप्ति के पश्चात एक निश्चित अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता, चिकित्सा व्यय के भुगतान सहित अस्थायी लाभ प्रदान करने तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU: Sir, I introduce** the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

** Introduced with the recommendation of the President.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 80, श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू जी।

13.01½ hrs

(xix) Chilli (Promotion and Development) Bill, 2022*

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the promotion and development of chilli industry, consultation of a Chilli Board and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि मिर्च उद्योग के संवर्धन एवं विकास, मिर्च बोर्ड के गठन तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 97, श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू जी ।

13.02 hrs

(xx)Sexual Harassment at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Bill, 2022*

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide protection against sexual harassment at workplace to people of all genders including women, men and other genders and for the prevention and redressal of complaints of sexual harassment and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि सभी लैंगिक वर्गों, जिनमें व्यक्ति, पुरुष और अन्य लिंग शामिल हैं, के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण और लैंगिक उत्पीड़न के परिवादों के निवारण और प्रतितोषण तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 148, श्री पी. पी. चौधरी जी ।

13.02½ hrs

(xxi)Constitution (Amendment) Bill, 2022*
(Amendment of Article 58)

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SHRI P. P. CHAUDHARY: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 149, श्री पी. पी. चौधरी जी।

<u>13.03 hrs</u>

(xxii) Constitution (Amendment) Bill, 2022*
(Amendment of the Seventh Schedule)

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

SHRI P. P. CHAUDHARY: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नंबर – 150, श्री पी. पी. चौधरी जी।

13.03½ hrs

(xxiii)Constitution (Amendment) Bill, 2022*
(Amendment of the Seventh Schedule)

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI P. P. CHAUDHARY: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नं. 52 - श्री जगदम्बिका पाल जी ।

13.03¾ hrs

(xxiv)Constitution (Amendment) Bill, 2021*

(Amendment of Seventh Schedule)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नं. 65 - श्री जगदम्बिका पाल जी ।

<u>13.04 hrs</u>

(xxv) Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2022*
(Amendment of section 2, etc.)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मोटर यान अधिनियम, 1988 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि मोटर यान अधिनियम, 1988 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नं. 126 - श्री जगदम्बिका पाल जी ।

13.04½ hrs

(xxvi)Right to Information (Amendment) Bill, 2023*
(Amendment of section 2, etc.)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नं. 168, श्री निशिकांत दुबे जी।

<u>13.05 hrs</u>

(xxvii) Criminal Law (Amendment) Bill, 2023*
(Insertion of new section 52B, etc.)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दंड संहिता, 1860 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि भारतीय दंड संहिता, 1860 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

डॉ. निशिकांत दुबे: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नं. 169, श्री निशिकांत दुबे जी।

13.05½ hrs

(xxviii)Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2023*
(Amendment of section 1A, etc.)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि महामारी अधिनियम, 1897 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि महामारी अधिनियम, 1897 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. निशिकांत दुबे: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नं. 175, श्री निशिकांत दुबे जी।

13.05¾ hrs

(xxix)Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Amendment Bill, 2023*

(Amendment of sections 2 and 3)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं केन्द्रीय शिक्षा संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि केन्द्रीय शिक्षा संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. निशिकांत दुबे: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

HON. CHAIRPERSON: Item No. 128, Dr. Shrikant Eknath Shinde.

13.06 hrs

(xxx) Code of Civil Procedure (Amendment) Bill, 2022*
(Amendment of section 23, etc.)

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Code of Civil Procedure, 1908.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

HON. CHAIRPERSON: Item No. 129, Dr. Shrikant Eknath Shinde.

13.06½ hrs

(xxxi) Mental Healthcare (Amendment) Bill, 2022*
(Amendment of section 17, etc.)

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Mental Healthcare Act, 2017.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

HON. CHAIRPERSON: Item No. 121, Shri Kodikunnil Suresh.

13.06¾ hrs

(xxxii) Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Amendment) Bill, 2022*

(Amendment of section 31)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security of Interest Act, 2022.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

HON. CHAIRPERSON: Item No. 68, Shri Margani Bharat.

13.07 hrs

(xxxiii) Andhra Pradesh Reorganisation (Amendment) Bill, 2023*
(Insertion of new Part XA)

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> “कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI MARGANI BHARAT: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

HON. CHAIRPERSON: Item No 172, Adv. Dean Kuriakose.

<u>13.07½ hrs</u>

(xxxiv) Information Technology (Amendment) Bill, 2023*
(Amendment of section 2, etc.)

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Information Technology Act, 2000.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

ADV. DEAN KURIAKOSE: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

HON. CHAIRPERSON: Item No 173, Adv. Dean Kuriakose.

13.08 hrs

(xxxv) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (Amendment) Bill, 2023*

(Amendment of section 22, etc.)

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

ADV. DEAN KURIAKOSE: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

HON. CHAIRPERSON: Item No 174, Adv. Dean Kuriakose.

13.08½ hrs

(xxxvi) Wild Life (Protection) Amendment Bill, 2023*

(Amendment of section 2, etc.)

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Wild Life (Protection) Act, 1972.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

ADV. DEAN KURIAKOSE: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

HON. CHAIRPERSON: Item No. 55, Dr. G. Ranjith Reddy

13.09 hrs

(xxxvii) Supreme Court of India (Establishment of a Permanent Bench at Hyderabad) Bill, 2023*

DR. G. RANJITH REDDY (CHEVELLA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of a permanent Bench of the Supreme Court of India at Hyderabad in the State of Telangana.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में भारत के उच्चतम न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. G. RANJITH REDDY: Sir, I introduce** the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

** Introduced with the recommendation of the President.

माननीय सभापति : आइटम नं. 142, डॉ. हिना गावीत जी ।

13.09½ hrs

(xxxviii) Micro, Small and Medium Enterprises Development (Amendment) Bill, 2022*

(Amendment of section 2, etc.)

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत (नन्दुरबार): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि सूक्ष्म**,** लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि सूक्ष्म**,** लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति: आइटम नंबर 143, डॉ. हिना विजयकुमार गावीत ।

13.10 hrs

(xxxix)Constitution (Amendment) Bill, 2022

(Amendment of Article 312) *

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत (नन्दुरबार): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करती हूँ।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 144, डॉ. हिना विजयकुमार गावीत।

13.10½ hrs

(xl) Maintenance and Welfare of parents and Senior Citizens (Amendment) Bill, 2022 *

(Amendment of section 21, etc.)

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत (नन्दुरबार): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भारणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भारणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करती हूँ।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 31, श्रीमती लॉकेट चटर्जी।

13.11 hrs

(xli) Scheduled Castes and Scheduled Tribes Sub Plans (Budgetary Allocation and Special Schemes) Bill, 2020 *

SHRIMATI LOCKET CHATTERJEE (HOOGHLY): Sir, with your permission, I beg to move for leave to introduce a Bill to ensure speedy removal of social and economic disparity through targeted expenditure on special schemes for the welfare and development of the persons belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के कल्याण और विकास हेतु विशेष योजनाओं पर लक्षित व्यय के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विषमता का शीघ्र समापन सुनिश्चित करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRIMATI LOCKET CHATTERJEE: Sir, I introduce** the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

** Introduced with the recommendation of the President.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 32, श्रीमती लॉकेट चटर्जी।

13.11½ hrs

(xlii) Vehicular Pollution Reduction Bill, 2019*

SHRIMATI LOCKET CHATTERJEE (HOOGHLY): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for incentives to State Governments and Municipal Corporations to take effective steps towards reduction of vehicular pollution in urban areas.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि शहरी क्षेत्रों में वाहन प्रदूषण में कमी लाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाने हेतु राज्य सरकारों और नगर निगमों को प्रोत्साहन देने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRIMATI LOCKET CHATTERJEE: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 27, श्री सु. थिरुनवुक्करासर।

13.11¾ hrs

(xliii) Unemployment Allowance Bill, 2019*

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR (TIRUCHIRAPPALLI): Sir, with your permission, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for payment of unemployment allowance till gainful employment is provided to eligible citizen and ensuring the right to gainful employment and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय सभापित : प्रश्न यह है:

> "कि पात्र नागरिकों को लाभकारी नियोजन प्रदान किए जाने तक बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने एवं लाभकारी नियोजन का अधिकार सुनिश्चित करने और तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 28, श्री सु. थिरुनवुक्करासर।

13.12 hrs

(xliv) Agricultural Workers Welfare Fund Bill, 2019*

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR (TIRUCHIRAPPALLI): Sir, with your permission, I beg to move for leave to introduce a Bill to establish an Agricultural Workers Welfare Fund for the welfare and development of agricultural workers and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि कृषि कामगारों के कल्याण तथा विकास के लिए कृषि कामगार कल्याण कोष की स्थापना तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 87, डॉ. मोहम्मद जावेद।

13.12½ hrs

(xlv)Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2023*
(Amendment of section 2, etc.)

DR. MOHAMMAD JAWED (KISHANGANJ): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. MOHAMMAD JAWED: Sir, I introduce** the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

** Introduced with the recommendation of the President.

माननीय सभापति : आइटम नंबर – 108, श्री राहुल रमेश शेवाले ।

13.12¾ hrs

(xlvi) Indian Penal Code (Amendment) Bill, 2022*

(Insertion of new section 440A)

SHRI RAHUL RAMESH SHEWALE (MUMBAI SOUTH-CENTRAL): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend Indian Penal Code, 1860.

माननीय सभापित : प्रश्न यह है:

> "कि भारतीय दंड संहिता, 1860 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI RAHUL RAMESH SHEWALE: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति: आइटम नंबर 109, श्री राहुल शेवाले जी।

13.13 hrs

(xlvii)Child Marriage Abolition Bill, 2022*

SHRI RAHUL RAMESH SHEWALE (MUMBAI SOUTH-CENTRAL): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to abolish the practice of child marriages in the country.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि देश में बाल विवाह की प्रथा का उत्सादन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI RAHUL RAMESH SHEWALE: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 177, श्री राहुल शेवाले जी।

13.13½ hrs

(xlviii) Salt Workers Welfare Bill, 2023*

SHRI RAHUL RAMESH SHEWALE (MUMBAI SOUTH-CENTRAL): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the protection from exploitation and welfare measures for the salt workers in the country by setting up a welfare fund for payment of old age pension, healthcare, educational facilities for their children and for payment of minimum wages and for matters connected therewith and incidental thereto.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि कल्याण निधि की स्थापना द्वारा देश में नमक कर्मकारों की शोषण से सुरक्षा एवं कल्याणकारी उपायों, वृद्धावस्था पेंशन के संदाय, स्वास्थ्य परिचर्या, उनके बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाओं और न्यूनतम मजदूरी के भुगतान का उपबंध करने तथा उससे संसक्त एवं उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI RAHUL RAMESH SHEWALE: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 167, श्री सुकान्त मजूमदार जी ।

<u>13.14 hrs</u>

(xlix) Chit Funds (Amendment) Bill, 2023*
(Amendment of sections 2 and 4)

DR. SUKANTA MAJUMDAR (BALURGHAT): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Chit Funds Act, 1982.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

> "कि चिट फंड अधिनियम, 1982 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

DR. SUKANTA MAJUMDAR: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 171, श्री सुकान्त मजूमदार जी।

13.14½ hrs

(I) Compulsory Yoga Practice in Schools and Other Education Institutions Bill, 2023*

DR. SUKANTA MAJUMDAR (BALURGHAT): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for compulsory yoga practice from primary to senior secondary level in all the schools and other education institutions throughout the country in order to prepare talent of sports from school level and thereby ensuring good and sound health of students and for making it obligatory for the Centre and State Government to provide requisite infrastructure for purpose and for matters connected therewith and incidental thereto.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

> "कि विद्यालय स्तर पर खेल प्रतिभाएँ तैयार करने तथा इस प्रकार विद्यार्थियों का अच्छा और उत्तम स्वास्थ्य सुनिश्चित करने हेतु देश भर के सभी विद्यालयों में प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं में अनिवार्य योग अभ्यास करवाने के लिए तथा उक्त प्रयोजनार्थ केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक अवसंरचना प्रदान करना अनिवार्य बनाने तथा उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. SUKANTA MAJUMDAR : Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 220, श्री चाछीकादन थॉमस जी।

<u>13.15 hrs</u>

(li) Rights of Persons with Disabilities (Amendment) Bill, 2023*
(Amendment of section 2, etc.)

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

> "कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 164, श्री संजीव कुमार शिंगरी जी।

13.15½ hrs

(Iii) Constitution (Amendment) Bill, 2023*
(Amendment of Article 312)

DR. SANJEEV KUMAR SINGARI (KURNOOL): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. SANJEEV KUMAR SINGARI: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 165, डॉ. संजीव कुमार शिंगरी जी।

13.16 hrs

(liii) Rights of Persons with Disabilities (Amendment) Bill, 2023*
(Amendment of section 2, etc.)

DR. SANJEEV KUMAR SINGARI (KURNOOL): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. SANJEEV KUMAR SINGARI: Sir, I introduce** the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

** Introduced with the recommendation of the President.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 185, डॉ. संजीव कुमार शिंगरी जी।

13.16½ hrs

(liv) Handloom Weavers and Workers (Welfare) Authority Bill, 2023*

DR. SANJEEV KUMAR SINGARI (KURNOOL): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to ensure protection and welfare mechanisms for the handloom weavers and workers and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

> "कि हथकरघा बुनकरों और कामगारों हेतु सुरक्षा एवं कल्याण व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. SANJEEV KUMAR SINGARI: Sir, I introduce** the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

** Introduced with the recommendation of the President.

माननीय सभापति: आइटम नंबर 222, डॉ. मोहम्मद जावेद।

<u>13.17hrs</u>

(Iv) Healthcare Service Providers and Facilities (Prevention of Violence and Damage to Property) Bill, 2023*

DR. MOHAMMAD JAWED (KISHANGANJ): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to prohibit violence against healthcare service providers, patients and their attendants and to prevent damage or loss to property in healthcare service facilities and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

> "कि स्वास्थ्य देख-रेख सेवाप्रदाताओं, रोगियों और उनके परिचारकों के विरूद्ध हिंसा का निषेध करने और स्वास्थ्य देख-रेख सेवा सुविधाओं में संपत्ति की क्षति या हानि का निवारण करने तथा तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

DR. MOHAMMAD JAWED: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति: आइटम नंबर 190, श्री मनोज कोटक ।

13.17½ hrs

(lvi) Urban Areas (Development and Regulation) Bill, 2023 *

SHRI MANOJ KOTAK (MUMBAI NORTH-EAST): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to establish an Urban Areas (Development and Regulation) Committee to ensure regulation and development of urban areas in the country and for all matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

> "कि देश में शहरी क्षेत्रों के विनियमन और विकास को सुनिश्चित करने के लिए शहरी क्षेत्र (विकास और विनियमन) समिति की स्थापना और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SHRI MANOJ KOTAK: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति: आइटम नंबर 191, श्री मनोज कोटक।

<u>13.18 hrs</u>

(lvii) Prohibition of Fake News on Social Media Bill, 2023*

SHRI MANOJ KOTAK (MUMBAI NORTH-EAST): Sir, I beg to move for leave to introduce the Bill to provide for the establishment of Fake News on Social Media Regulatory Authority to prohibit fake news on social media and for matters connected therewith.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि सोशल मीडिया पर मिथ्या समाचार का प्रतिषेध करने के लिए सोशल मीडिया मिथ्या समाचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

SHRI MANOJ KOTAK: Sir, I introduce** the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

** Introduced with the recommendation of the President.

माननीय सभापति: आइटम नंबर 192, श्री मनोज कोटक।

13.18½ hrs

(lviii) Waste (Disposal and Management) Bill, 2023*

SHRI MANOJ KOTAK (MUMBAI NORTH-EAST): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for establishment of Regional Waste Disposal Management Cluster for waste management in the country and for matters connected therewith.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि देश में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए क्षेत्रीय अपशिष्ट निपटान प्रबंधन क्लस्टर की स्थापना किए जाने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI MANOJ KOTAK: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति: आइटम नंबर 161, श्री गोपाल शेट्टी ।

13.19 hrs

(lix) Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens (Amendment) Bill, 2023*

(Amendment of section 19, etc.)

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री गोपाल शेट्टी: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति: आइटम नंबर 162, श्री गोपाल शेट्टी ।

<u>13.19½ hrs</u>

(lx)Constitution (Amendment) Bill, 2023*
(Amendment of Article 214)

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

श्री गोपाल शेट्टी: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति: आइटम नंबर 42, डॉ. संजय जायसवाल।

13.20 hrs

(lxi) National Commission for Minorities (Amendment) Bill, 2021*
(Amendment of section 2)

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. संजय जायसवाल: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति: आइटम नंबर 122, श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल।

13.20½ hrs

(lxii) Tour Operators and Travel Agents (Regulation) Bill, 2022*

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा टूर ऑपरेटरों और ट्रैवल एजेंटों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करते हुए और टूर और पर्यटक संबंधी विभिन्न क्रियाकलापों के लिए अपेक्षित मानक एवं अवसंरचना को निर्धारित करते हुए इन टूर ऑपरेटरों और ट्रैवल एजेंटों का विनियमन करने तथा तत्संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा टूर ऑपरेटरों और ट्रैवल एजेंटों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करते हुए और टूर और पर्यटक संबंधी विभिन्न क्रियाकलापों के लिए अपेक्षित मानक एवं अवसंरचना को निर्धारित करते हुए इन टूर ऑपरेटरों और ट्रैवल एजेंटों का विनियमन करने तथा तत्संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति: आइटम नंबर 123, श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल।

13.21 hrs

(lxiii) Dalit, Backward and Oppressed Youth (Development and Welfare) Bill, 2022*

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित दलित युवाओं और अन्य पिछड़े वर्गों तथा दमित वर्गों के युवाओं का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाने और उसे कार्यान्वित करने तथा केन्द्र सरकार द्वारा उनके कल्याण और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित दलित युवाओं और अन्य पिछड़े वर्गों तथा दमित वर्गों के युवाओं का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाने और उसे कार्यान्वित करने तथा केन्द्र सरकार द्वारा उनके कल्याण और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 124, श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल जी।

13.21½ hrs

(lxiv) Promotion of Social and Emotional Learning in Schools Bill, 2022*

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वैज्ञानिक रूप से सटीक, उम्र के हिसाब से उपयुक्त और सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक पाठ्यचर्या और सामग्री का उपयोग करते हुए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एज्युकेशन और राज्य शिक्षा बोर्डों से संबद्ध विद्यालयों में नामांकित सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को सामाजिक और भावनात्मक अधिगम का प्रशिक्षण प्रदान करने तथा तत्संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

> "वैज्ञानिक रूप से सटीक, उम्र के हिसाब से उपयुक्त और सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक पाठ्यचर्या और सामग्री का उपयोग करते हुए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एज्युकेशन और राज्य शिक्षा बोर्डों से संबद्ध विद्यालयों में नामांकित सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को सामाजिक और भावनात्मक अधिगम का प्रशिक्षण प्रदान करने तथातत्संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 73, श्रीमती पूनमबेन माडम ।

13.22 hrs

(lxv) Wind Turbine and Solar Energy Waste (Handling, Disposal and Recycling) Bill, 2022*

SHRIMATI POONAMBEN MAADAM (JAMNAGAR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for proper handling and disposal of waste being generated by wind turbine and solar energy devices by prescribing norms and fixing responsibilities and duties on manufacturers, re-cyclers and consumers with regard to disposal of the waste generated by wind and solar energy devices.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि पवन चक्की एवं सौर ऊर्जा उपकरणों से व्युत्पन्न अपशिष्ट के समुचित प्रबंधन एवं निस्तारण के लिए मानदंड निर्धारित करके निर्माताओं, पुनर्चक्रणकर्ताओं तथा उपभोक्ताओं पर पवन और सौर ऊर्जा उपकरणों द्वारा व्युत्पन्न अपशिष्ट के निस्तारण के संबंध में जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का नियत करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SHRIMATI POONAMBEN MAADAM: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 89, श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर।

13.22½ hrs

(lxvi) National Green Tribunal (Amendment) Bill, 2022*
(Amendment of section 15, etc.)

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the National Green Tribunal Act, 2010.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

> "कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 118, श्री प्रद्युत बोरदोलोई।

13.22¾ hrs

(lxvii) Constitution (Amendment) Bill, 2022*
(Amendment of the Seventh Schedule)

SHRI PRADYUT BORDOLOI (NAWGONG): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI PRADYUT BORDOLOI: Sir I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 227, डॉ. गौतम सिगामणि पोन।

13.23 hrs

(lxviii) Hindu Succession (Amendment) Bill, 2023*
(Amendment of section 2)

DR. GAUTHAM SIGAMANI PON (KALLAKURICHI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Hindu Succession Act, 1956.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

> "कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम,1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. GAUTHAM SIGAMANI PON: Sir I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 228, डॉ. गौतम सिगामणि पोन।

<u>13.23½ hrs</u>

(lxix) Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Amendment Bill, 2023[*]

(Insertion of new section 4A)

DR. GAUTHAM SIGAMANI PON (KALLAKURICHI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

> "कि कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

DR. GAUTHAM SIGAMANI PON: Sir, I introduce the Bill.

---

[*] Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 226, श्री रितेश पाण्डेय।

13.23¾ hrs

(lxx) Indian Telecom (Privacy and Security) Bill, 2023*

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the protection of privacy and security in the Indian telecommunication sector, establish a comprehensive framework for the collection, storage and use of personal data by telecom service providers, in accordance with the principles of transparency, users rights and consent and for matters connected therewith.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

> "कि भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में गोपनीयता व सुरक्षा अनुरक्षण का उपबंध करने तथा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा पारदर्शिता, उपयोगकर्ताओं के अधिकारों और सहमति के सिद्धांतों के अनुरूप व्यक्तिगत डेटा के संग्रहण, भंडारण और उपयोग संबंधी एक विस्तृत संरचना स्थापित करने तथा इससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI RITESH PANDEY: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नं 83, डॉ. कलानिधि वीरास्वामी।

<u>13.24 hrs</u>

(lxxi) Citizenship (Amendment) Bill, 2022*
(Amendment of section 2)

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Citizenship Act, 1955.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

> "कि नागरिकता अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

DR. KALANIDHI VEERASWAMY: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नं 157, डॉ. कलानिधि वीरास्वामी।

13.24½ hrs

(lxxii) Emigration (Amendment) Bill, 2023*
(Insertion of new Chapter IIA, etc.)

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Emigration Act, 1983.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि उत्प्रवास अधिनियम, 1983 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. KALANIDHI VEERASWAMY: Sir, I introduce** the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

** Introduced with the recommendation of the President.

माननीय सभापति: आइटम नं 219, डॉ. तालारी रंगैय्या।

<u>13.25 hrs</u>

(lxxiii) Pingali Venkayya National Urban Employment Guarantee Bill, 2023*

DR. TALARI RANGAIAH (ANANTAPUR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for enhancement of livelihood security in the urban regions of the country by providing at least one hundred days of guaranteed wage employment in every financial year to every household whose adult members volunteers to do the given work and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

> 'कि देश के शहरी क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार, जिसके वयस्क सदस्य कार्य करने के लिए स्वेच्छापर्वूक तैयार हो जाते हों, को कम से कम एक सौ दिन का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करने तथा इससे संसक्त या इसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

DR. TALARI RANGAIAH: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नं 145, श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल।

13.25½ hrs

(lxxiv) Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2022*
(Amendment of section 8)

SHRI UNMESH BHAIYYASAHEB PATIL (JALGAON): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Motor Vehicles Act, 1988.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

> "कि मोटर यान अधिनियम, 1988 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI UNMESH BHAIYYASAHEB PATIL: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नं 213, श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल।

<u>13.26 hrs</u>

(lxxv) Code on Social Security (Amendment) Bill, 2023*
(Amendment of section 15, etc.)

SHRI UNMESH BHAIYYASAHEB PATIL (JALGAON): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Code on Social Security, 2020.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

> "कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

SHRI UNMESH BHAIYYASAHEB PATIL: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नं 61, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे।

<u>13.26½ hrs</u>

(lxxvi) Tuberculosis (Treatment and Eradication) Bill, 2022*

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि क्षयरोग की रोकथाम और उन्मूलन तथा क्षयरोग से प्रभावित रोगियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:-

> "कि क्षयरोग की रोकथाम और उन्मूलन तथा क्षयरोग से प्रभावित रोगियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नं 103, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे।

13.27 hrs

(lxxvii) Tourism Development Board Bill, 2022*

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में पर्यटन के विकास हेतु पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना करने और उससे संसक्त विषयों वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि देश में पर्यटन के विकास हेतु पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना करने और उससे संसक्त विषयों वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नं 104, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे।

13.27½ hrs

(lxxviii) Sculptors, Artists and Artisans of Rural Areas Upliftment Council Bill, 2022*

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों के मूर्तिकारों, कलाकारों और कारीगारों के कल्याण के लिए तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि ग्रामीण क्षेत्रों के मूर्तिकारों, कलाकारों और कारीगारों के कल्याण के लिए तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 105, श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी।

13.28 hrs

(lxxix) Sportspersons (Reservation in Sports Bodies) Bill, 2022*

SHRI PARVESH SAHIB SINGH VERMA (WEST DELHI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide reservation for sportspersons in national sports administration bodies in India.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि भारत में राष्ट्रीय खेल प्रशासन निकायों में खिलाड़ियों के लिए आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI PARVESH SAHIB SINGH VERMA: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 179, श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी।

13.29 hrs

(lxxx) Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2023*
(Amendment of sections 267 and 273)

SHRI PARVESH SAHIB SINGH VERMA (WEST DELHI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI PARVESH SAHIB SINGH VERMA: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 111, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल जी।

13.30 hrs

(lxxxi) Social Media and Over-the-Top Platform Regulatory Board Bill, 2022*

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कला, संगीत, फिल्म, सिनेमा, ओटीटी सिनेमा, विज्ञापन, स्टैंडअप कॉमेडी, कविता, सोशल मीडिया, सांस्कृतिक मंचन, नाट्य मंचन के माध्यम से सृजनात्मकता के नाम पर सोशल मीडिया में व्यक्तियों, कला, सांस्कृतिक संगठनों द्वारा दिखाई जाने वाली सामग्री को विनियमित करने के लिए सोशल मीडिया और ओवर-द-टॉप प्लेटफॉर्म नियामक बोर्ड की स्थापना करने और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि कला, संगीत, फिल्म, सिनेमा, ओटीटी सिनेमा, विज्ञापन, स्टैंडअप कॉमेडी, कविता, सोशल मीडिया, सांस्कृतिक मंचन, नाट्य मंचन के माध्यम से सृजनात्मकता के नाम पर सोशल मीडिया में व्यक्तियों, कला, सांस्कृतिक संगठनों द्वारा दिखाई जाने वाली सामग्री को विनियमित करने के लिए सोशल मीडिया और ओवर-द-टॉप प्लेटफॉर्म नियामक बोर्ड की स्थापना करने और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

** Introduced with the recommendation of the President.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 112, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल जी।

13.31 hrs

(lxxxii)Constitution (Amendment) Bill, 2022*
(Amendment of Article 72)

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 74, श्री वी.के. श्रीकंदन जी।

13.32 hrs

(lxxxiii) Man-Animal Conflicts Prevention Board Bill, 2023*

SHRI V.K. SREEKANDAN (PALAKKAD): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the constitution of a Board for prevention of man-animal conflicts in the country and for matters related therewith.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि देश में मानव-पशु संघर्षों के निवारण के लिए एक बोर्ड के गठन तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI V.K. SREEKANDAN: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 196, श्री वी.के. श्रीकंदन जी।

13.33 hrs

(lxxxiv) Hindu Succession (Amendment) Bill, 2023*
(Amendment of sections 15 and 16)

SHRI V.K. SREEKANDAN (PALAKKAD): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Hindu Succession Act, 1956.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI V.K. SREEKANDAN: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 201, श्री वी.के. श्रीकंदन जी ।

<u>13.34 hrs</u>

(lxxxv)Citizenship (Amendment) Bill, 2023*
(Amendment of section 18)

SHRI V.K. SREEKANDAN (PALAKKAD): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Citizenship Act, 1955.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि नागरिकता अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

SHRI V.K. SREEKANDAN (PALAKKAD): Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 59, श्री केसिनेनी श्रीनिवास जी ।

13.35 hrs

(lxxxvi) Criminal Law (Amendment) Bill, 2022*
(Amendment of section 124A, etc.)

SHRI KESINENI SRINIVAS (VIJAYAWADA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860 and the Code of Criminal Procedure, 1973.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि भारतीय दंड संहिता, 1860 तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SHRI KESINENI SRINIVAS : Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 66, श्री केसिनेनी श्रीनिवास जी।

13.36 hrs

(lxxxvii) Government Legislative Proposals and Schemes (Impact Analysis and Post Implementation Assessment) Bill, 2022*

SHRI KESINENI SRINIVAS (VIJAYAWADA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to bring about accountability and Parliamentary oversight to the legislative and policy-making process in the country and to improve the quality of expenditure made by the Union Government.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

> "कि देश में विधायी और नीति-निर्माण प्रक्रिया की जवाबदेही तथा संसदीय अन्वेक्षा सुनिश्चित करने और केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI KESINENI SRINIVAS: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 117, श्री केसिनेनी श्रीनिवास जी।

13.37 hrs

(lxxxviii) Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2022*
(Amendment of section 125)

SHRI KESINENI SRINIVAS (VIJAYAWADA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

> "कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI KESINENI SRINIVAS: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 176, श्री विष्णु दयाल राम जी ।

13.38 hrs

(lxxxix) Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Bill, 2023*

(Amendment of section 31A)

SHRI VISHNU DAYAL RAM (PALAMU): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SHRI VISHNU DAYAL RAM: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 183, श्री सुधीर गुप्ता जी।

<u>13.38½ hrs</u>

(xc)Judicial Accountability Bill, 2023*

श्री सुधीर गुप्ता (मन्दसौर): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि न्यायिक मानकों के निर्धारण तथा उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के न्यायाधीशों के उत्तरदायित्व का उपबंध करने तथा उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के दुर्व्यवहार अथवा अक्षमता संबंधी व्यक्तिगत परिवादों के अन्वेषण हेतु विश्वसनीय व समीचीन प्रणाली स्थापित करने तथा उक्त अन्वेषण प्रक्रिया के नियमितिकरण व किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद द्वारा राष्ट्रपति को एक समावेदन की प्रस्तुति तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

> "कि न्यायिक मानकों के निर्धारण तथा उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के न्यायाधीशों के उत्तरदायित्व का उपबंध करने तथा उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के दुर्व्यवहार अथवा अक्षमता संबंधी व्यक्तिगत परिवादों के अन्वेषण हेतु विश्वसनीय व समीचीन प्रणाली स्थापित करने तथा उक्त अन्वेषण प्रक्रिया के नियमितिकरण व किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद द्वारा राष्ट्रपति को एक समावेदन की प्रस्तुति तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

श्री सुधीर गुप्ता: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 207, डॉ. मनोज राजोरिया जी।

<u>13.39 hrs</u>

(xci)Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals (Amendment) Bill, 2023*

(Insertion of new sections 19A and 19B)

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

> "कि पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

डॉ. मनोज राजोरिया: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

** Introduced with the recommendation of the President.

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 221, डॉ. मनोज राजोरिया जी ।

13.39½ hrs

(xcii) Compulsory Teaching of Lifestyle for Environment Bill, 2023*

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभी शैक्षिक संस्थाओं में जीवनशैली पर्यावरणीय शिक्षा के अनिवार्य शिक्षण और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

> "कि सभी शैक्षिक संस्थाओं में जीवनशैली पर्यावरणीय शिक्षा के अनिवार्य शिक्षण और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

डॉ. मनोज राजोरिया: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 81, श्री संजय भाटिया जी।

13.40 hrs

(xciii) Constitution (Amendment) Bill, 2022*
(Amendment of Articles 15 and 16)

SHRI SANJAY BHATIA (KARNAL): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI SANJAY BHATIA: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 115, श्री संजय भाटिया जी।

13.41 hrs

(xciv) Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2022*
(Amendment of section 41)

SHRI SANJAY BHATIA (KARNAL): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Motor Vehicles Act, 1988.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

> "कि मोटर यान अधिनियम,1988 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI SANJAY BHATIA: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 20 और आइटम नम्बर 21,

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे जी – उपस्थित नहीं।

आइटम नम्बर 22, श्री राकेश सिंह जी – उपस्थित नहीं।

आइटम नम्बर 23, श्री जसबीर सिंह गिल जी।

13.41½ hrs

(xcv) Plastic Manufacturing (Regulation) Bill, 2019*

SHRI JASBIR SINGH GILL (KHADOOR SAHIB): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for a framework to enable India to ban plastic manufacturing to safeguard the environment.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि पर्यावरण की रक्षा के लिए प्लास्टिक विनिर्माण पर प्रतिबंध लगाने हेतु भारत को सक्षम बनाने के लिए ढांचा प्रदान करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI JASBIR SINGH GILL: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 193, श्री रवि किशन जी।

13.42 hrs

(xcvi) Compulsory Teaching of Moral Ethics in Educational Institutions Bill, 2023*

श्री रवि किशन (गोरखपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभी शैक्षिक संस्थाओं में नैतिक आचारों के अनिवार्य शिक्षण और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि सभी शैक्षिक संस्थाओं में नैतिक आचारों के अनिवार्य शिक्षण और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रवि किशन : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 194, श्री रवि किशन जी।

13.42½ hrs

(xcvii) Central Sanskrit Universities (Amendment) Bill, 2023*

(Amendment of the First Schedule)

श्री रवि किशन (गोरखपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रवि किशन: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

** Introduced with the recommendation of the President.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 195, श्री रवि किशन जी।

13.43 hrs

(xcviii)Traditional Fishermen (Protection and Welfare) Bill, 2023*

श्री रवि किशन (गोरखपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में परंपरागत मछुआरों के संरक्षण और परंपरागत मछुआरों के स्वास्थ्य देखभाल, जीवन बीमा कवरेज, बच्चों के लिए शैक्षणिक सुविधाओं सहित कल्याणकारी उपायों और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि देश में परंपरागत मछुआरों के संरक्षण और परंपरागत मछुआरों के स्वास्थ्य देखभाल, जीवन बीमा कवरेज, बच्चों के लिए शैक्षणिक सुविधाओं सहित कल्याणकारी उपायों और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रवि किशन : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

** Introduced with the recommendation of the President.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 158, सुश्री सुनीता दुग्गल जी ।

13.43½ hrs

(xcix) Constitution (Amendment) Bill, 2023*
(Insertion of new Article 48B)

SUSHRI SUNITA DUGGAL (SIRSA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SUSHRI SUNITA DUGGAL: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 24, डॉ. रामशंकर कठेरिया;

आइटम नंबर 25, डॉ. रामशंकर कठेरिया;

आइटम नंबर 26, श्री हेमन्त पाटिल;

आइटम नंबर 29, प्रो. रीता बहुगुणा जोशी;

आइटम नंबर 30, प्रो. रीता बहुगुणा जोशी;

आइटम नंबर 33, श्रीमती पूनम महाजन;

आइटम नंबर 34, एडवोकेट अदूर प्रकाश;

आइटम नंबर 35, श्री अशोक कुमार रावत;

आइटम नंबर 36, श्री अबु हसन खान चौधरी;

आइटम नंबर 37, श्री के. सुधाकरन;

आइटम नंबर 38, श्री के. सुधाकरन;

आइटम नंबर 39, श्री जसबीर सिंह गिल जी।

13.44 hrs

(c) Prevention of Wasteful Expenditure on Special Occasions Bill, 2020*

SHRI JASBIR SINGH GILL (KHADOOR SAHIB): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to prevent wasteful expenditure on special occasions such as weddings and festivals with a view to bring positive changes in the lives of the underprivileged and the destitute and for matter connected therewith.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि वंचित और परित्यक्त लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दृष्टि से विवाह और त्योहार जैसे विशेष अवसरों पर व्यर्थ व्यय का निवारण करने तथा उससे संबंधित विषय वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI JASBIR SINGH GILL: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 40, श्री असादुद्दीन ओवैसी

आइटम नंबर 41, डॉ. थोल तिरुमावलवन;

आइटम नंबर 43, श्री राजमोहन उन्नीथन;

आइटम नंबर 45, श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे;

आइटम नंबर 46, श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे;

आइटम नंबर 47, श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे;

आइटम नंबर 48, श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे;

आइटम नंबर 49, श्री जुगल किशोर शर्मा;

आइटम नंबर 50, श्री जुगल किशोर शर्मा;

आइटम नंबर 51, श्री राम मोहन नायडू किंजरापु;

आइटम नंबर 53, श्री गजानन कीर्तिकर;

आइटम नंबर 54, श्री गजानन कीर्तिकर;

आइटम नंबर 56, श्री कोडिकुन्नील सुरेश;

आइटम नंबर 57, श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत;

आइटम नंबर 58, डॉ. डीएनवी सेंथिलकुमार. एस जी।

13.44½ hrs

(ci) Food Safety and Standards (Amendment) Bill, 2022*
(Amendment of Section 3, etc.)

DR. DNV SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Food Safety and Standards Act, 2006.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. DNV SENTHILKUMAR S.: Sir, I introduce** the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

** Introduced with the recommendation of the President.

HON. CHAIRPERSON : Item No.60, Shri Vishnu Datt Sharma -- Not present.

Item No.62, Shri T.N. Prathapan;

Item No.63, Shri Vishnu Datt Sharma;

Item No.64, Shri Uttam Kumar Nalamada Reddy;

Item No. 67, Shri Asaduddin Owaisi;

Item No.69, Shri Sunil Kumar Singh.

13.45 hrs

(cii) Victims of Accident (Equal Compensation) Bill, 2022*

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दुर्घटनाओं से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा समान प्रतिकर दिए जाने और तत्संबंधी तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि दुर्घटनाओं से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा समान प्रतिकर दिए जाने और तत्संबंधी तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुनील कुमार सिंह : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नं. 70, श्री सुनील कुमार सिंह।

<u>13.45½ hrs</u>

(ciii) High Courts (Use of Official Language) Bill, 2022*

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में राजभाषा का प्रयोग तथा तत्संबंधी या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में राजभाषा का प्रयोग तथा तत्संबंधी या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

श्री सुनील कुमार सिंह: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नं. 71, डॉ. आलोक कुमार सुमन।

13.46 hrs

(civ) Railways (Amendment) Bill, 2022*
(Insertion of new section 24A)

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेल अधिनियम, 1989 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि रेल अधिनियम, 1989 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. आलोक कुमार सुमन : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

** Introduced with the recommendation of the President.

HON. CHAIRPERSON: Item No.72, Dr. DNV Senthilkumar S.

13.47 hrs

(cv) Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2022*
(Amendment of the Schedule)

DR. DNV SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि संविधान (अनुसूचित जनजतियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. DNV SENTHILKUMAR S.: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

HON. CHAIRPERSON: Item No.75, Shri Mahesh Sahoo;

Item No.76, Shri D.M. Kathir Anand;

Item No. 77, Shri Ritesh Pandey.

13.48 hrs

(cvi) Nursing Services (Regularisation of Service and Welfare) Bill, 2022*

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि परिचर्या सेवाओं का नियमितीकरण करने तथा ऐसी परिचर्या सेवाओं में केंद्रीय सरकार के समूह 'ग' कर्मचारी से अन्यून का दर्जा प्राप्त करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि परिचर्या सेवाओं का नियमितीकरण करने तथा ऐसी परिचर्या सेवाओं में केंद्रीय सरकार के समूह 'ग' कर्मचारी से अन्यून का दर्जा प्राप्त करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रितेश पाण्डेय : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

HON. CHAIRPERSON: Item No. 78, Shri Asaduddin Owaisi;

Item No.79, Shrimati Kanimozhi Karunanidhi;

Item No. 84, Shri Dileshwar Kamait.

13.49 hrs

(cvii) Victims of Acid Attack, their Rehabilitation Support and Healthcare Bill, 2022*

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि एसिड हमलों के पीड़ित व्यक्तियों का समुचित पुनर्वास और अनुतोष सुनिश्चित करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि एसिड हमलों के पीड़ित व्यक्तियों का समुचित पुनर्वास और अनुतोष सुनिश्चित करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री दिलेश्वर कामैत : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति: आइटम नंबर 85, श्री दिलेश्वर कामैत।

13.50 hrs

(cviii) Terminated Employees (Welfare) Bill, 2022*

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियोक्ताओं द्वारा पदच्युत किए जा चुके कर्मचारियों के लिए कल्याण उपाय करने तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

> "कि नियोक्ताओं द्वारा पदच्युत किए जा चुके कर्मचारियों के लिए कल्याण उपाय करने तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री दिलेश्वर कामैत: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

** Introduced with the recommendation of the President.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 88, डॉ. डीएनवी सेंथिलकुमार. एस ।

13.51 hrs

(cix) Prevention of Violence Against Healthcare Professionals and Clinical Establishments Bill, 2022*

DR. DNV SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the prevention of violence against healthcare professionals and clinical establishments and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

> "कि स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों और नैदानिक स्थापनों के विरुद्ध हिंसा निवारण तथा तत्संबंधी या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

DR. DNV SENTHILKUMAR S.: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 106, श्री दिलीप शइकीया।

श्री दिलीप शइकीया (मंगलदोई): महोदय, मेरे तीन विधेयक हैं, इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि तीनों को एक साथ लिया जाए।

माननीय सभापति : ठीक है।

<u>13.52 hrs</u>

(cx) Patharughat National Farmers Memorial Bill, 2022*

श्री दिलीप शइकीया (मंगलदोई): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि असम राज्य के पथरूघाट में 28 जनवरी, 1894 को मारे गए या घायल हुए किसानों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए एक राष्ट्रीय स्मारक के निर्माण और प्रबंधन का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

> "कि असम राज्य के पथरूघाट में 28 जनवरी, 1894 को मारे गए या घायल हुए किसानों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए एक राष्ट्रीय स्मारक के निर्माण और प्रबंधन का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

श्री दिलीप शइकीया: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 163, श्री दिलीप शइकीया।

<u>13.53 hrs</u>

(cxi) Private Coaching Centres Regulatory Board Bill, 2023*

श्री दिलीप शइकीया (मंगलदोई): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्राइवेट कोचिंग केन्द्रों के विनियमन हेतु बोर्ड का गठन करने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

> "कि प्राइवेट कोचिंग केन्द्रों के विनियमन हेतु बोर्ड का गठन करने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

श्री दिलीप शइकीया: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 188, श्री दिलीप शइकीया।

13.54 hrs

(cxii) Compulsory Teaching of ill Effects of Drug Addiction in Schools Bill, 2023*

श्री दिलीप शइकीया (मंगलदोई): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विद्यालयों में मादक पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभावों के अनिवार्य शिक्षण और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

> "कि विद्यालयों में मादक पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभावों के अनिवार्य शिक्षण और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री दिलीप शइकीया: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : श्री एम. के. राघवन;

श्री के. षणमुग सुंदरम;

आइटम नंबर 125, श्री भोला सिंह।

13.55 hrs

(cxiii) Compulsory Teaching and Practice of Bhagavad Gita in Educational Institutions Bill, 2022*

श्री भोला सिंह (बुलंदशहर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि शैक्षिक संस्थाओं में भगवद्गीता के अनिवार्य रूप से शिक्षण एवं अभ्यास तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

> "कि शैक्षिक संस्थाओं में भगवद्गीता के अनिवार्य रूप से शिक्षण एवं अभ्यास तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भोला सिंह: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 127, डॉ. आलोक कुमार सुमन।

13.56 hrs

(cxiv) Criminal Law (Amendment) Bill, 2022*
(Insertion of new section 304C, etc.)

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दंड संहिता, 1860 तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

> "कि भारतीय दंड संहिता, 1860 तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. आलोक कुमार सुमन: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

14.00 hrs

HON. CHAIRPERSON: Item No. 130. Dr. Sujay Vikhe Patil – Not present.

Item No. 131. Dr. Sujay Vikhe Patil;

Item No. 132. Dr. Sujay Vikhe Patil;

Item No. 133. Shri Krishnapalsingh Yadav.

14.00½ hrs

(cxv) Companies (Amendment) Bill, 2022*
(Amendment of section 135)

SHRI KRISHNAPALSINGH YADAV (GUNA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Companies Act, 2013.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि कंपनी अधिनियम, 2013 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI KRISHNAPALSINGH YADAV: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 134 – श्री कृष्णपालसिंह यादव जी।

14.01 hrs

(cxvi) Constitution (Amendment) Bill, 2022*
(Substitution of new Article for Article 343)

SHRI KRISHNAPALSINGH YADAV (GUNA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI KRISHNAPALSINGH YADAV: Sir, I introduce the Bill.

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, मैं एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाना चाहता हूँ कि हमारे नेता राहुल गांधी जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है तो उनको यहां पर आने की इजाजत जल्दी से जल्दी आपकी तरफ से दी जाए। मैं चेयर से यह मांग करता हूँ… (व्यवधान)

माननीय सभापति: स्पीकर साहब इसका अपने आप संज्ञान लेंगे। नेचुरली संज्ञान लेंगे।

… (व्यवधान)

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 135 – श्री कृष्णपालसिंह यादव जी।

14.02 hrs

(cxvii) Code on Social Security (Amendment) Bill, 2022*
(Amendment of sections 2 and 53)

SHRI KRISHNAPALSINGH YADAV (GUNA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Code on Social Security Act, 2020.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि सामाजिक सुरक्षा संहिता अधिनियम, 2020 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI KRISHNAPALSINGH YADAV: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 49 – श्री जुगल किशोर शर्मा जी।

14.02½ hrs

(cxviii) Electronic Waste (Management and Disposal) Bill, 2021*

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के निपटान के संबंध में मानदंड निर्धारित करके और उत्पादकों, पुन:चक्रणकर्ताओं और उपभोक्ताओं के उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य निर्धारित करके कबाड़ बन चुके टेलीविज़न, निजी कंप्यूटर, फ़्लॉपियों, ऑडियो-वीडियो सीडी, बैटरियों, सेल फोन, रेफ्रिजरेटर, एयर-कंडीशनर्स, इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों, टेलीफोन्स, कपड़े धोने की मशीनों, इलेक्ट्रिक स्विचों आदि जैसे त्यक्त इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के द्वारा उत्सर्जित हो रहे लाखों टन इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के समुचित प्रबंधन और निपटान तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के निपटान के संबंध में मानदंड निर्धारित करके और उत्पादकों, पुनःचक्रणकर्ताओं और उपभोक्ताओं के उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य निर्धारित करके कबाड़ बन चुके टेलीविज़न, निजी कंप्यूटर, फ़्लॉपियों, ऑडियो-वीडियो सीडी, बैटरियों, सेल फोन, रेफ्रिजरेटर, एयर-कंडीशनर्स, इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों, टेलीफोन्स, कपड़े धोने की मशीनों, इलेक्ट्रिक स्विचों आदि जैसे त्यक्त इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के द्वारा उत्सर्जित हो रहे लाखों टन इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के समुचित प्रबंधन और निपटान तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

श्री जुगल किशोर शर्मा: सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 50 – श्री जुगल किशोर शर्मा जी।

<u>14.03 hrs</u>

(cxix) Child Welfare Bill, 2021*

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बालकों के कल्याण और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि बालकों के कल्याण और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

श्री जुगल किशोर शर्मा: सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 136 – श्री अब्दुल खालेक जी ।

14.03½ hrs

(cxx) Representation of the People (Amendment) Bill, 2022*
(Insertion of new Chapter IVA)

SHRI ABDUL KHALEQUE (BARPETA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SHRI ABDUL KHALEQUE: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 138 – श्री अब्दुल खालेक जी।

14.04 hrs

(cxxi) Constitution (Scheduled Castes) Order
(Amendment) Bill, 2022*
(Omission of paragraph 3)

SHRI ABDUL KHALEQUE (BARPETA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI ABDUL KHALEQUE: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 218, श्री अब्दुल खालेक जी।

14.05 hrs

(cxxii) Criminal Law (Amendment) Bill, 2023*
(Amendment of section 99, etc.)

SHRI ABDUL KHALEQUE (BARPETA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860 and the Code of Criminal Procedure, 1973.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि भारतीय दंड संहिता, 1860 तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI ABDUL KHALEQUE: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 137 श्री धनुष एम. कुमार जी;

आइटम नम्बर 139, डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी जी;

आइटम नम्बर 140, डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी जी;

आइटम नम्बर 141, डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी जी;

आइटम नम्बर 146, श्री श्याम सिंह यादव जी ।

14.05½ hrs

(cxxiii) Constitution (Amendment) Bill, 2022*
(Amendment of Article 85)

SHRI SHYAM SINGH YADAV (JAUNPUR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SHRI SHYAM SINGH YADAV: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 147, श्री सत्यदेव पचौरी जी;

आइटम नम्बर 151, श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी जी;

आइटम नम्बर 152, श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी जी;

आइटम नम्बर 153, श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी जी;

आइटम नम्बर 154, श्री हनुमान बेनिवाल जी;

आइटम नम्बर 155, श्री श्याम सिंह यादव जी;

आइटम नम्बर 156, श्री के. नवासखनी जी;

आइटम नम्बर 159, **श्री** श्रीधर कोटागिरी जी;

आइटम नम्बर 160, डॉ. जयंत कुमार राय जी;

आइटम नम्बर 161, श्री गोपाल शेट्टी जी;

आइटम नम्बर 162, श्री गोपाल शेट्टी जी;

आइटम नम्बर 165, डॉ. संजीव कुमार शिंगरी जी;

आइटम नम्बर 166, श्री सी.पी. जोशी जी;

आइटम नम्बर 170, श्री के. षणमुग सुंदरम;

आइटम नम्बर 178, श्री भोला सिंह जी।

14.06 hrs

(cxxiv) Human Trafficking (Prevention and Control) Bill, 2023*

श्री भोला सिंह (बुलंदशहर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में मानव दुर्व्यापार के निवारण और नियंत्रण के लिए केन्द्रीय मानव दुर्व्यापार निवारण और नियंत्रण आयोग स्थापित करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि देश में मानव दुर्व्यापार के निवारण और नियंत्रण के लिए केन्द्रीय मानव दुर्व्यापार निवारण और नियंत्रण आयोग स्थापित करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भोला सिंह: सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 180, श्री धनुष एम. कुमार जी;

आइटम नम्बर 181, श्री धनुष एम. कुमार जी;

आइटम नम्बर 182, श्री निहाल चन्द जी;

आइटम नम्बर 186, श्री हसनैन मसूदी जी;

आइटम नम्बर 187, श्री सी. एन. अन्नादुरई।

<u>14.06½ hrs</u>

(cxxv) Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2023*
(Amendment of the Schedule)

SHRI C.N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

SHRI C.N. ANNADURAI: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 189, श्री के. षणमुग सुंदरम जी;

आइटम नम्बर 197, श्रीमती सुमलता अम्बरीश जी;

आइटम नम्बर 198, श्रीमती सुमलता अम्बरीश जी;

आइटम नम्बर 199, श्री पिनाकी मिश्रा जी;

आइटम नम्बर 200, श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह राजेनिंबालकर जी;

आइटम नम्बर 203, सुश्री एस. जोतिमणि जी;

आइटम नम्बर 204, श्री निहाल चन्द जी;

आइटम नम्बर 205, श्री जयंत सिन्हा जी;

आइटम नम्बर 206, श्री गणेश सेल्वम जी ।

14.07 hrs

(cxxvi) Small Land Holding Farmers (Protection and Welfare) Bill, 2023*

SHRI G. SELVAM (KANCHEEPURAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for protection and welfare of small land holding farmers by constitution of a Minimum Price Assurance Commission and a Small Land Holding Farmers Welfare Fund and for matters connected therewith.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि न्यूनतम मूल्य आश्वासन आयोग और छोटी जोत वाले किसान कल्याण निधि के गठन द्वारा छोटी जोत वाले किसानों के संरक्षण और कल्याण का उपबंध करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SHRI G. SELVAM: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति: आइटम नंबर 208 – श्री कुलदीप राय शर्मा जी ।

14.08 hrs

(cxxvii) Andaman and Nicobar Islands (Right to Health) Bill, 2023*

SHRI KULDEEP RAI SHARMA (ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for right to health for residents of Andaman and Nicobar Islands and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के निवासियों के लिए स्वास्थ्य के अधिकार और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SHRI KULDEEP RAI SHARMA: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 209 – श्री कुलदीप राय शर्मा जी।

14.09 hrs

(cxxviii) Welfare of Shopkeepers in Andaman and Nicobar Islands Bill, 2023*

SHRI KULDEEP RAI SHARMA (ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the welfare of Shopkeepers in Andaman and Nicobar Islands and for setting up of Shopkeepers' Welfare Fund and a Board to administer the Fund and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में दुकानदारों के कल्याण और दुकानदार कल्याण निधि तथा निधि के प्रशासन के लिए बोर्ड की स्थापना किए जाने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI KULDEEP RAI SHARMA: Sir, I introduce the Bill

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 210 – श्री कुलदीप राय शर्मा जी ।

<u>14.10 hrs</u>

(cxxix) Anganwadi Workers of Andaman and Nicobar Islands (Regularization of Service and Welfare) Bill, 2023*

SHRI KULDEEP RAI SHARMA (ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for regularization of the services of Anganwadi workers in the Andaman and Nicobar Islands by giving them status of permanent employee of the Government for matters connected therewith.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकार के स्थायी कर्मचारी का दर्जा देकर उनकी सेवाओं के नियमितीकरण तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

SHRI KULDEEP RAI SHARMA: Sir, I introduce** the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

** Introduced with the recommendation of the President.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 211. श्री निहाल चन्द चौहान जी;

आइटम नंबर 212. श्री सत्यदेव पचौरी जी;

आइटम नंबर 214. श्री फिरोज़ वरुण गांधी जी;

आइटम नंबर 215. श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर जी;

आइटम नंबर 224. श्री श्रीधर कोटागिरी जी;

आइटम नंबर 225. श्री बिद्युत बरन महतो जी;

आइटम नंबर 107. श्री एम. के. राघवन जी।

14.11 hrs

(cxxx) Anganwadi Worker's Welfare Bill, 2022*

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for welfare of Anganwadi workers employed across the country and to ensure that they are provided with all social security benefits.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि देश भर में नियोजित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कल्याण और उन्हें सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना सुनिश्चित करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI M.K. RAGHAVAN: Sir, I introduce** the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

** Introduced with the recommendation of the President.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 110 – श्री एम. के. राघवन जी।

14.12 hrs

(cxxxi) Institute of Teaching and Research in Ayurveda (Amendment) Bill, 2023*
(Amendment of Long Title, etc.)

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Institute of Teaching and Research in Ayurveda Act, 2020.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2020 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI M.K. RAGHAVAN: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 116 – श्री एम. के. राघवन जी।

<u>14.13 hrs</u>

(cxxxii) Criminal Laws (Amendment) Bill, 2022*
(Amendment of section 353, etc.)

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860 and the Code of Criminal Procedure, 1973.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि भारतीय दंड संहिता, 1860 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

SHRI M.K. RAGHAVAN: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 154 – श्री हनुमान बेनीवाल जी।

14.14 hrs

(cxxxiii) Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2022*
(Amendment of section 20)

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हनुमान बेनीवाल: सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 200, श्री ओम पवन राजेनिंबालकर ।

14.15 hrs

(cxxxiv) Government Servants (Regulation of Services) Bill, 2023*

श्री ओम पवन राजेनिंबालकर (उस्मानाबाद): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सरकारी सेवकों के कदाचार से निपटने और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि सरकारी सेवकों के कदाचार से निपटने और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री ओम पवन राजेनिंबालकर : माननीय सभापति जी, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.08.2023.

माननीय सभापति : किन्हीं माननीय सदस्य का विधेयक पुर:स्थापित होने से रह तो नहीं गया है?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : किन्हीं का नहीं रहा, ठीक है।

सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 7 अगस्त 2023 को प्रात: ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

14.16 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, August 07, 2023/Sravana 16, 1945 (Saka).

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in
http://www.loksabha.nic.in

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business
in Lok Sabha (Sixteenth Edition)